अध्याय V

सहकारी बैंकिंग गतिविधियां

सहकारी बैंकों, जिसमें शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ता में, लाभप्रदता और अनर्जक आस्तियों जैसे प्रमुख संकेतकों के संबंध में, कार्य-निष्पादन में भिन्नता रही। शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ में आंशिक तौर पर कमी आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के प्रभाव के कारण आई। लेकिन, उनकी आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार दिखा जो मोटे तौर पर मजबूत विवेक सम्मत मानदंडों और विनियमों को दर्शाता है। जहाँ तक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की बात है, 2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के समग्र कार्य-निष्पादन में निवल लाभ और आस्ति गुणवत्ता के रूप में कुछ सुधार दिखा, वहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को हानियां हुईं। राज्य और प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों जैसी दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का कमजोर वित्तीय कार्य-निष्पादन जारी रहा।

1. परिचय

5.1 शहरी और ग्रामीण भारत दोनों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहकारी बैंक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि बैंक प्रधान वित्तीय प्रणाली में, इन संस्थाओं का कुल ऋण में एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन ऋण संवितरण में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उनको विभिन्न भौगोलिक स्थानों तथा जनसांख्यिकीय वर्गों[1] को सेवाएं देनी होती हैं। गांव और शहर दोनों में सहकारी बैंकों का व्यापक नेटवर्क जमाकर्ताओं / उधारकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क के अंतर्गत लाकर, सघन वित्तीय मध्यस्थता के कार्य में वाणिज्यिक बैंकिंग नेटवर्क को सहायता प्रदान करता है। जनसांख्यिकी दृष्टि से, इन संस्थाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कम और मध्यम आय समूह की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाया है।

5.2 वित्तीय प्रणाली के समावेशन को बढ़ाने में सहकारी बैंकों की भूमिका सराहनीय रही हैं। लेकिन, इन संस्थाओं का वित्तीय कार्यनिष्पादन, विशेष रूप से ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का, सामान्य से कम रहा है जो आंशिक रूप से परिचालनगत और गवर्नेंस संबंधी मामलों के कारण है। कई समितियों ने उनके कमजोर वित्तीय कार्य-निष्पादन के कारणों की जांच की है और समय-समय पर उनके उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं। सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

5.3 शहरी सहकारी बैंकों के लिए 2005 के विजन दस्तावेज में निर्धारित के अनुसार, एक संयुक्त विनियामी ढांचे के लिए रिज़र्व बैंक के विशेष प्रयासों में, सक्रिय शहरी सहकारी बैंकों को तैयार करने के उपायों पर बल दिया गया है। जहाँ तक अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की बात है, अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना पर बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का उद्देश्य इस खंड में व्याप्त अपर्याप्तताओं को दूर करना है।

5.4 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में 2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। ग्रामीण सहकारी बैंकों का विश्लेषण 2011-12 से संबंधित है क्योंकि इस खंड के आंकड़े एक वर्ष के अंतराल पर उपलब्ध हुए हैं। इस अध्याय में शामिल किया गया विश्लेषण अल्पकालिक और दीर्घकालिक है जो 1,606 शहरी सहकारी बैंकों और 93,550

[1] मार्च 2012 के अंत में, ग्रामीण और शहरी सहकारी संस्थाओं द्वारा कुल मिलाकर दिया गया कर्ज और अग्रिम, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवितरित कुल कर्ज तथा अग्रिम का लगभग 10 प्रतिशत रहा।

चार्ट V.1: भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं का ढांचा
(मार्च 2013 के अंत की स्थिति)

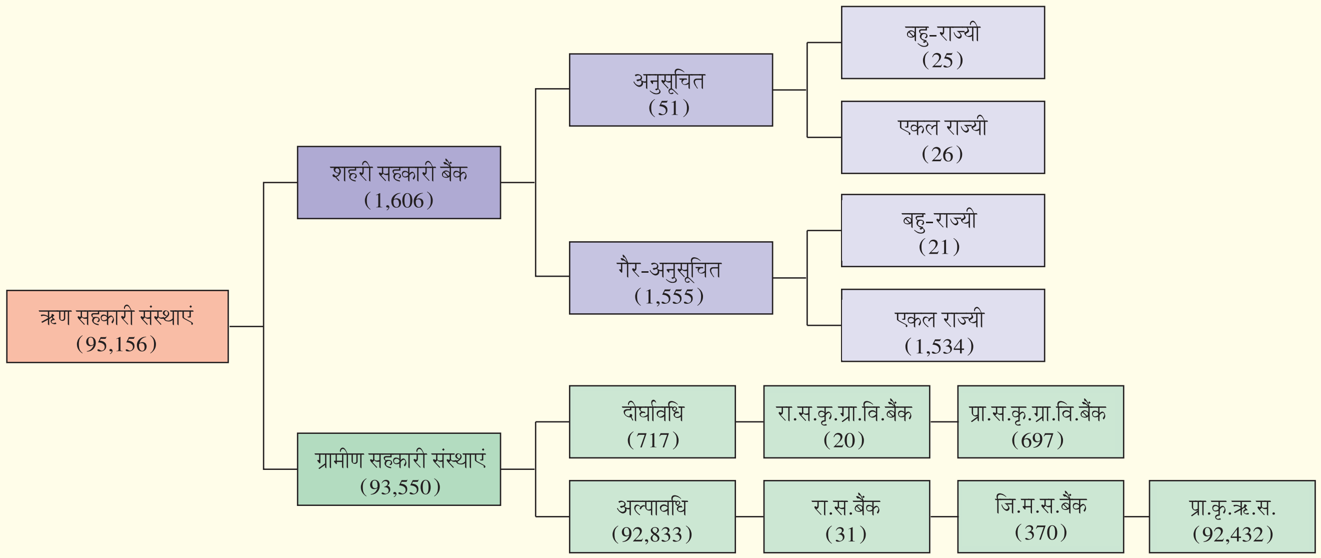

रा.स.बैंक : राज्य सहकारी बैंक; जि.म.स.बैंक: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; प्रा.कृ.ऋ.स: प्राथमिक कृषि ऋण समिति; रा.स.कृ.ग्रा.वि.बैंक: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; प्रा.स.कृ.ग्रा.वि.बैंक : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मार्च 2013 के अंत में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में संस्थाओं की संख्या और मार्च 2012 के अंत में ग्राणीण सहकारी संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं।
2. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के संबंध में सहकारी संस्थाओं की संख्या, रिपोर्टिंग करने वाली सहकारी संस्थाओं की संख्या दर्शाती है।

ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं से संबंधित है जैसाकि चार्ट V.1 में दिया गया है।

5.5 यह अध्याय 5 भागों में है। भाग 2 में शहरी सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण उनकी आस्तियों और देयताओं, आय और व्यय तथा वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों के आधार पर किया गया है। भाग 3 में अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के विभिन्न स्तरों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है। अगले भाग में लाइसेंसिंग से संबंधित ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। समापक टिप्पणियां अंतिम भाग में दी गई हैं।

2. शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र का आगे और अधिक समेकन

5.6 रिज़र्व बैंक ने अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के विलय/समामेलन और गैर अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के बहिर्गमन के उद्देश्य से इस क्षेत्र के पुनरुज्जीवन हेतु एक बहुस्तरीय नियामक और पर्यवेक्षी रणनीति बनाई है। इस कदम से शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में क्रमिक रूप से कमी आई है (चार्ट V.2)। परिणाम के रूप में, मार्च 2013 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या 1,606 हो गई जबकि मार्च 2012 के अंत में यह 1,618 थी।

चार्ट V.2: शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या
(मार्च 2013 के अंत में)

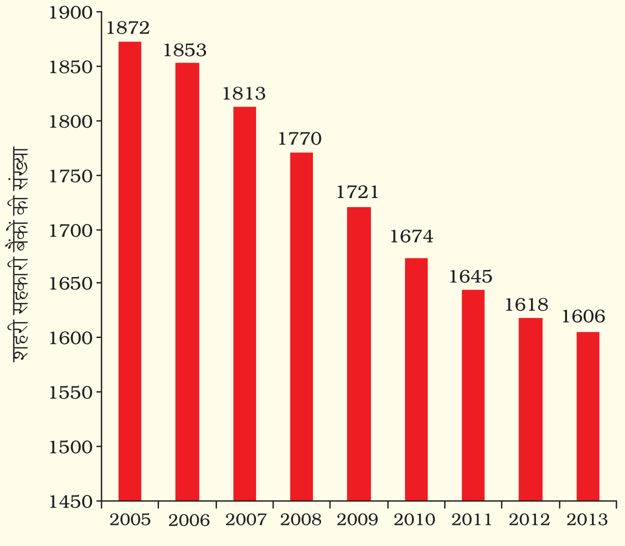

चार्ट V.3: शहरी सहकारी बैंकों के विलय की संचयी आधार पर राज्य-वार संख्या
(मार्च 2013 के अंत में)

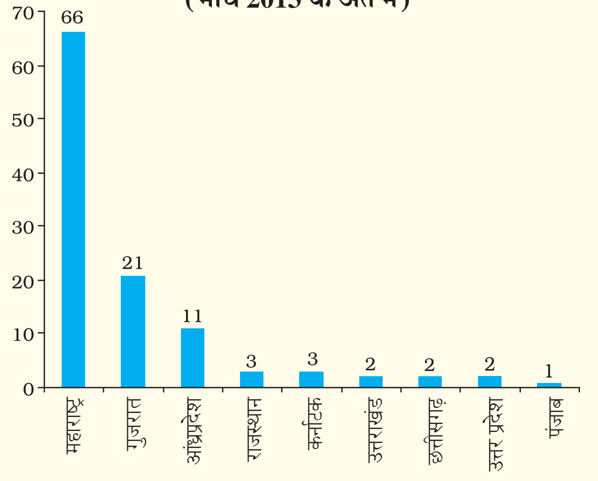

5.7 विलय के राज्य वार विभाजन के आंकड़े दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र में विलयों की अधिकतम संख्या है जिसमें शहरी सहकारी बैंकों की संख्या सर्वाधिक है। 2005 और 2013 के बीच मार्च के अंत के दौरान हुए सभी विलयों में महाराष्ट्र में विलय की संख्या 66 थी इसके पश्चात गुजरात (21) और आंध्र प्रदेश (11) का स्थान था (चार्ट V.3)।

टियर II के शहरी सहकारी बैंकों का कारोबार परिचालन में प्रभुत्व है

5.8 वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में टिकाऊ वृद्धि रही। शहरी सहकारी बैंकों को उनके जमा आधार पर टियर I और टियर II की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, और 2005 के विजन दस्तावेज[2] के आधार पर इन दो श्रेणियों का अलग-अलग विनियमन किया गया। हाल के वर्षों में, टियर II के बैंकों, जिनका एक विशाल जमा आधार और व्यापक भौगोलिक विस्तार है, की संख्या और आस्ति आकार में वृद्धि हुई है (सारणी V.1 और चार्ट V.4)।

शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार

5.9 शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता के मापन के लिए कैमेल्स (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली तथा नियंत्रण) रेटिंग मॉडल लागू करने के साथ, रिज़र्व बैंक ने विनियामी और पर्यवेक्षी प्रयोजन के लिए शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न श्रेणियों में किए गए पूर्व वर्गीकरण को समाप्त कर दिया। नए कैमेल्स रेटिंग मॉडल के अंतर्गत, बैंक को ए/बी/सी/डी (कार्य- निष्पादन के घटते क्रम में) की संयुक्त

सारणी V.1: शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण
(मार्च 2013 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

टियर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमा		अग्रिम		आस्तियां	
	संख्या	कुल की तुलना में %	संख्या	कुल की तुलना में %	संख्या	कुल की तुलना में %	संख्या	कुल की तुलना में %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
टियर I शहरी सहकारी बैंक	1,194	74.3	434	15.7	272	15.0	545	16.2
टियर II शहरी सहकारी बैंक	412	25.7	2,335	84.3	1,538	85.0	2,827	83.8
सभी शहरी सहकारी बैंक	**1,606**	**100.0**	**2,769**	**100.0**	**1,810**	**100.0**	**3,372**	**100.0**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

[2] टियर I वाले शहरी सहकारी बैंकों को ऐसे शहरी सहकारी बैंक के रूप में परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार हों :
- एक जिले में कार्यरत 1 बिलियन से कम जमा आधार वाले।
- एक से अधिक जिलों में कार्यरत 1 बिलियन से कम जमा आधार वाले बशर्ते उनकी शाखाएं सीमावर्ती जिलों में हों और एक जिले में शाखाओं की जमा और अग्रिम राशि पृथक रूप से क्रमशः बैंक की कुल जमाराशियों और अग्रिमों की कम से कम 95 प्रतिशत हों।
- 1 बिलियन से कम जमा आधार वाले, जिनकी शाखाएं मूल रूप से एक जिले में हों लेकिन बाद में वे जिले के पुनर्गठन के कारण बहु-जिला हो गए हों। अन्य सभी शहरी सहकारी बैंकों को टियर II शहरी सहकारी बैंक रूप में परिभाषित किया गया है।

अन्य सभी शहरी सहकारी बैंकों को टियर-II शहरी सहकारी बैंकों के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट V.4 शहरी सहकारी बैंकों की टियर-वार संरचना

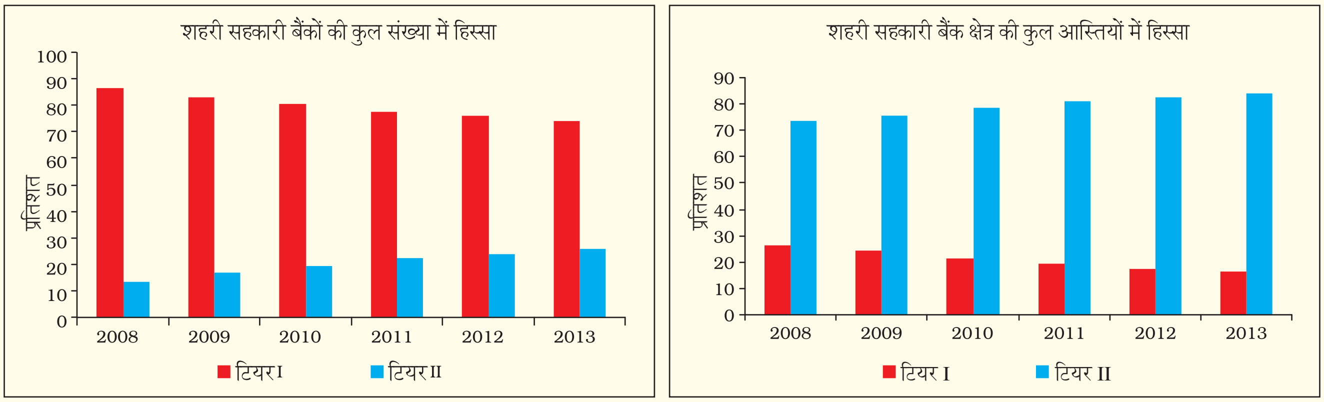

रेटिंग प्रदान की गई है, जो 'कैमेल्स' रेटिंग मॉडल के वैयक्तिक घटकों की भारित औसत रेटिंग पर आधारित होगी।

5.10 नए वर्गीकरण के अनुसार मार्च 2013 के अंत में लगभग 67 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों की (मार्च 2012 के अंत में 61 प्रतिशत) ए और बी की संयुक्त रेटिंग थी, जो शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग कारोबार (जमा और अग्रिम) की लगभग 85 प्रतिशत (मार्च 2012 के अंत में 78 प्रतिशत) थी। वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में दृष्टिगोचर सुधार हुआ। लगभग 27 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों की संयुक्त रेटिंग 'सी' रही, जो शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के बैंकिंग कारोबार का 13 प्रतिशत थी। लगभग 6 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों को सबसे कमजोर वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली डी की न्यूतम रेटिंग प्रदान की गई (सारणी V.2)।

सारणी V.2 रेटिंग के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का वितरण
(मार्च 2013 के अंत की स्थिति)

(राशि ₹ बिलियन में)

रेटिंग	बैंकों की संख्या	कुल में % हिस्सा	जमाराशि	कुल में % हिस्सा	अग्रिम	कुल में % हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7
ए	214	13.3	1,169	42.2	787	43.5
बी	861	53.6	1,175	42.4	761	42.1
सी	432	26.9	365	13.2	228	12.6
डी	99	6.2	60	2.2	33	1.8
कुल	**1,606**	**100.0**	**2,769**	**100.0**	**1,810**	**100.0**

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. रेटिंग 2010-11 से 2012-13 के दौरान किए गए निरीक्षणों के आधार पर हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।

2012-13 में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के अंतर्गत आस्ति संकेंद्रण में और वृद्धि

5.11 हाल के वर्षों में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के अंतर्गत आस्ति संकेद्रण में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से समेकन के परिणाम के रूप में। 10 बिलियन रुपए से अधिक आस्ति आकार वाली शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में 2008 और 2013 के बीच तेजी से वृद्धि हुई। उल्लेखनीय है कि इस अवधि के दौरान, शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में ऐसे बैकों का हिस्सा लगभग 37 से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.5)।

5.12 मार्च 2013 के अंत में 10 बिलियन रुपए से अधिक जमा आधार वाले शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा कुल जमाराशियों का 47 प्रतिशत रहा। 10 बिलियन रुपए से अधिक ऋण आकार वाली इन संस्थाओं का कुल शहरी सहकारी बैंकों के अग्रिमों में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा था (सारणी V.3)।

2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति वृद्धि स्थिर रही

5.13 2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट V.6)। अर्थव्यवस्था में धीमी मांग के कारण उनकी ऋण वृद्धि में कुछ गिरावट आई। दूसरी तरफ, एसएलआर निवेश में तीव्र वृद्धि के कारण 2012-13 में इन संस्थाओं के निवेश में अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दिखी। इस संदर्भ में, ध्यान देने की आवश्यकता है कि राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पास शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों

चार्ट V.5: आस्ति के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

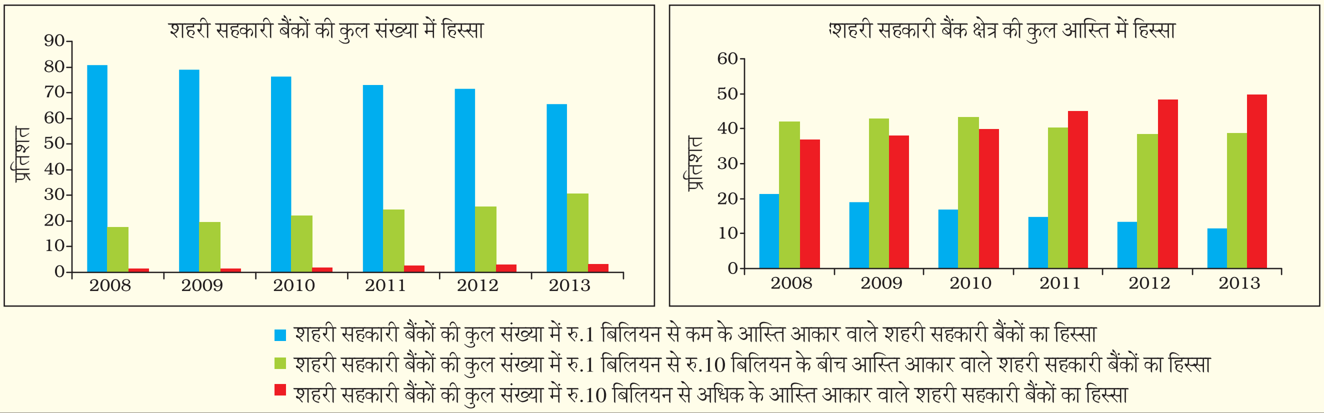

को एसएलआर निवेश के अंतर्गत माना जाता है। शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षा है कि वे भारत में अपनी निवल जमा और मीयादी देयताओं पर 25 प्रतिशत का एक समान एसएलआर रखें (सारणी V.4 और V.5)।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक उनकी कुल आस्तियों के लगभग आधे हैं

5.14 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, इसमें वे बैंक शामिल हैं जिनके पास 0.5 मिलियन रुपए से अधिक चुकता पूंजी और आरक्षित निधियां हैं और वे रिज़र्व बैंक की इच्छा के अनुसार जमाकर्ताओं के हित में अपना कारोबार करते हैं। 2012-13 में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के हिस्से में मामूली गिरावट आई। मार्च 2013 के अंत में 51 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

चार्ट V.6: शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में वृद्धि

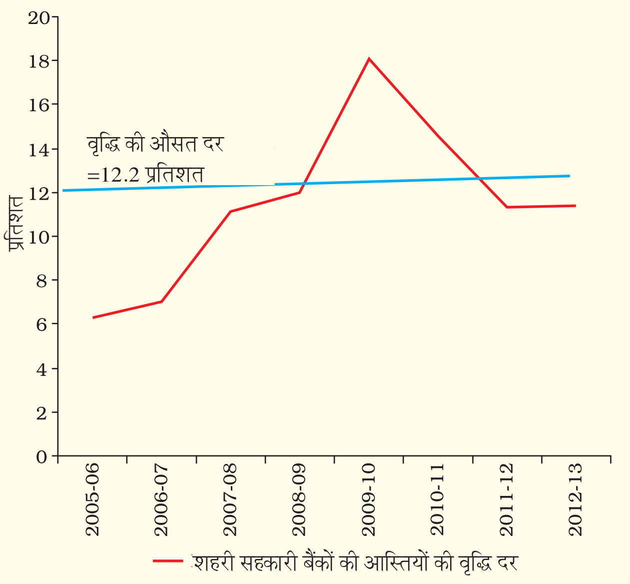

सारणी V.3: जमा एवं अग्रिम के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

(मार्च 2013 के अंत में)

जमाराशि (₹ बिलियन)	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या		जमाराशि		अग्रिम (₹ बिलियन)	शहरी सहकारी बैंक की संख्या		अग्रिमों की राशि	
	संख्या	% हिस्सा	संख्या	% हिस्सा		संख्या	% हिस्सा	संख्या	% हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 0.10	201	12.5	11	0.4	0 - 0.10	388	24.2	21	1.2
0.10 - 0.25	358	22.3	61	2.2	0.10 - 0.25	419	26.1	70	3.9
0.25 - 0.50	340	21.2	121	4.4	0.25 - 0.50	269	16.7	94	5.2
0.50 - 1.0	263	16.4	189	6.8	0.50 - 1.0	229	14.3	161	8.9
1.0 - 2.5	241	15.0	370	13.4	1.0 - 2.5	176	11.0	284	15.7
2.5 - 5.0	113	7.0	396	14.3	2.5 -5.0	69	4.3	240	13.3
5.0 - 10.0	47	2.9	330	11.9	5.0 - 10.0	31	1.9	216	11.9
10.0 और उससे अधिक	43	2.7	1,290	46.6	10.0 और उससे अधिक	25	1.6	724	40.0
कुल	**1,606**	**100.0**	**2,769**	**100.0**	**Total**	**1,606**	**100.0**	**1,810**	**100.0**

टिप्पणियां : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।

सारणी V.4: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

आस्ति/ देयता	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक		वृद्धि की दर (%) (सभी शहरी सहकारी बैंक)
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
देयताएं							
1. पूंजी	23	27	50	67	73	93	27.4
	(1.6)	(1.8)	(3.1)	(3.6)	(2.4)	(2.8)	
2. आरक्षित निधि	126	132	143	155	270	287	6.3
	(8.9)	(8.7)	(8.9)	(8.4)	(8.9)	(8.5)	
3. जमाराशि	1,104	1,263	1,282	1,506	2,386	2,769	16.1
	(77.6)	(82.9)	(80.0)	(81.4)	(78.8)	(82.1)	
4. उधार राशि	21	23	15	8	36	31	-13.9
	(1.5)	(1.5)	(0.9)	(0.4)	(1.2)	(0.9)	
5. अन्य देयताएं	148	79	113	112	262	191	-27.1
	(10.4)	(5.2)	(7.0)	(6.1)	(8.7)	(5.7)	
आस्तियां							
1. नगदी	8	11	23	26	30	37	23.3
	(0.6)	(0.7)	(1.4)	(1.4)	(1.0)	(1.1)	
2. बैंकों के पास शेष राशि	122	105	142	139	263	244	-7.2
	(8.6)	(6.9)	(8.9)	(7.5)	(8.7)	(7.2)	
3. मांग और अल्प सूचना पर उपलब्ध मुद्रा	9	5	7	9	15	14	-6.7
	(0.6)	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.5)	(0.4)	
4. निवेश	370	448	510	631	880	1,079	22.6
	(26.0)	(29.4)	(31.8)	(34.1)	(29.1)	(32.0)	
5. ऋण और अग्रिम	744	839	834	970	1,578	1,810	14.7
	(52.3)	(55.1)	(52.0)	(52.5)	(52.1)	(53.7)	
6. अन्य आस्तियां	171	115	88	74	259	189	-27.0
	(12.0)	(7.5)	(5.5)	(4.0)	(8.6)	(5.6)	
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,423**	**1,524**	**1,603**	**1,849**	**3,026**	**3,372**	**11.4**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/ आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।
4. मार्च 2013 के अंत के आंकड़े अनंतिम हैं।

ऐसे थे जो सभी शहरी सहकारी बैंकों का 3.2 प्रतिशत हिस्सा थे तथा जिनके पास शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों का लगभग आधा हिस्सा था (चार्ट V.7)।

शहरी सरकारी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में कम बना रहा

5.15 यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा, यह अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में कम रहा (चार्ट V.8)। लेकिन, शहरी सहकारी बैंकों का निवेश-जमा अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में अधिक रहा जो प्रमुख रूप से राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पास शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों के कारण था जैसा कि इस अध्याय में पूर्व में वर्णित किया गया है।

2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों के लाभप्रदता संकेतक स्थिर बने रहे

5.16 2012-13 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ में कमी आई। उनकी ब्याज और ब्याज से इतर आय दोनों में तीव्र

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए निवेश

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2012	2013	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
कुल निवेश (क+ख)	**880**	**1,079**	**3.5**	**22.6**
	(100.0)	**(100.0)**		
क. एसएलआर निवेश (i से vi)	**815**	**971**	**3.8**	**19.1**
	(92.6)	**(90.0)**		
i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	565	628	10.1	11.2
	(64.2)	(58.2)		
ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	108	138	16.1	27.8
	(12.3)	(12.8)		
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	3	6	-40.0	100.0
	(0.3)	(0.6)		
iv) राज्य सहकारी बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	42	45	-20.8	7.1
	(4.8)	(4.2)		
v) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पास मीयादी जमाराशि	76	89	-29.0	17.1
	(8.6)	(8.2)		
vi) अन्य, यदि कोई हों	20	64	42.9	220.0
	(2.3)	(5.9)		
ख. एसएलआर से इतर निवेश	**66.0**	**109**	**0.0**	**65.2**
	(7.5)	**(10.1)**		

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत को दर्शाते हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।

वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंक और शहरी सहकारी बैंक दोनों के लिए ब्याज से इतर आय का हिस्सा लगभग स्थिर बना रहा। लेकिन, वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों का कुल व्यय भी मुख्य

चार्ट V.7 : शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी

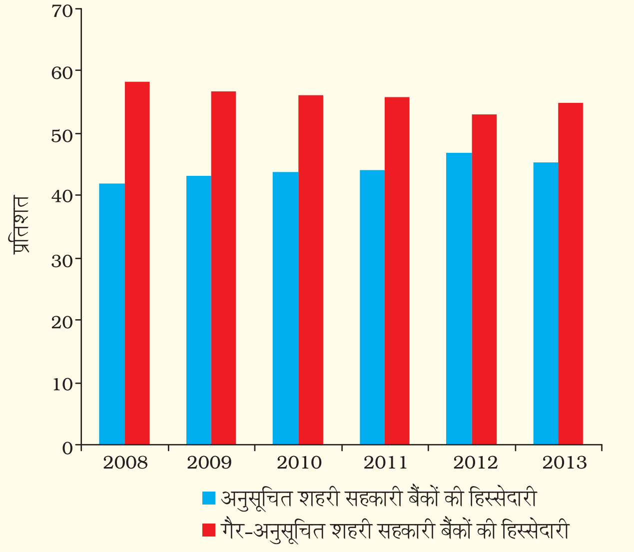

रूप से व्यय के ब्याज घटक में तेजी के कारण बढ़ा (सारणी V.6 और चार्ट V.9)। 2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता के प्रमुख संकेतक स्थिर बने रहे (सारणी V.7)। औसत आस्तियों के प्रतिशत के निवल लाभ के रूप में यथापरिभाषित आस्तियों पर प्रतिफल और औसत इक्विटी के प्रतिशत के निवल लाभ के रूप में यथापरिभाषित इक्विटी पर प्रतिफल दोनों, पिछले वर्ष के लगभग समान बने रहे। अलग-अलग स्तर के विश्लेषण से पता चलता है कि 2012-13 में दो अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का आस्तियों पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा (परिशिष्ट सारणी V.1)।

चार्ट V.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात

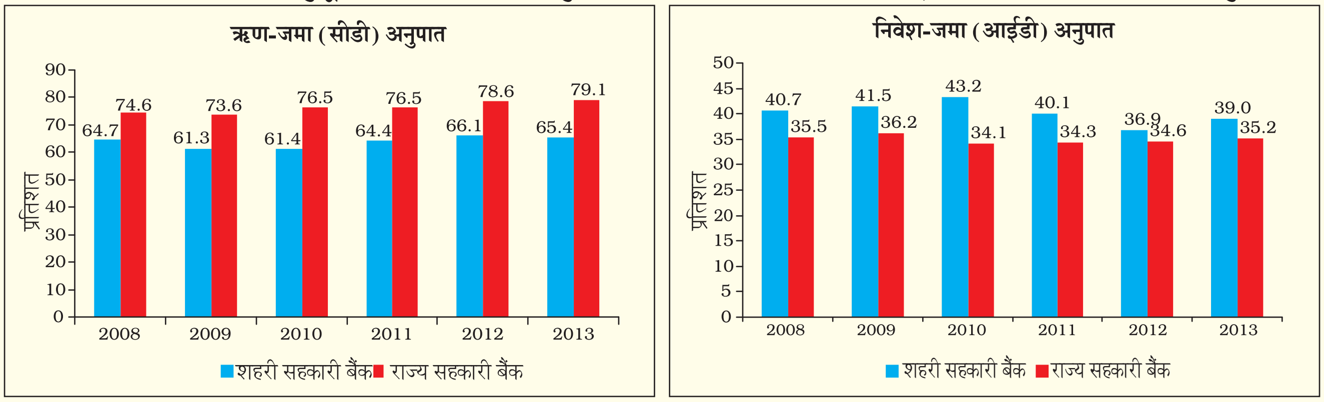

सारणी V.6: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. कुल आय (i+ii)	**124**	**150**	**158**	**200**	**282**	**350**	**25.7**	**24.1**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याज से आय	113	135	148	189	261	324	25.0	24.1
	(91.7)	(90.3)	(93.6)	(94.4)	(92.8)	(92.6)		
ii. ब्याज से इतर आय	10	15	10	11	20	26	35.7	30.0
	(8.3)	(9.7)	(6.4)	(5.6)	(7.2)	(7.4)		
आ. कुल व्यय (i+ii)	**100**	**122**	**129**	**167**	**229**	**289**	**23.9**	**26.2**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याज पर व्यय	74	93	92	124	166	217	26.8	30.7
	(74.3)	(76.4)	(71.1)	(74.4)	(72.5)	(75.3)		
ii. ब्याज से इतर व्यय	26	29	37	43	63	72	16.7	14.3
	(25.7)	(23.6)	(28.9)	(25.6)	(27.5)	(24.7)		
जिसमें से : स्टाफ पर व्यय	13	15	18	22	32	37	12.8	15.6
इ. लाभ								
i. परिचालन लाभ की राशि	24	28	29	33	52	62	34.3	19.2
ii. प्रावधान, आकस्मिकताएं, कर	9	15	11	12	20	27	17.2	35.0
iii. निवल लाभ की राशि	15	13	18	22	32	35	47.6	9.4

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रति प्रतिशत को दर्शाते हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।
4. 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

चार्ट V.9 : शहरी सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों की कुल आय में ब्याज से इतर आय का हिस्सा

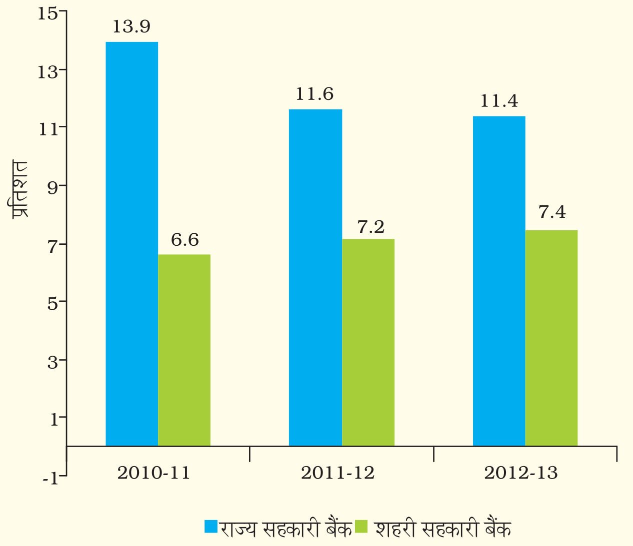

शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार

5.17 हाल के वर्षों में शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार दिखा। शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों में, 2011-12 की तुलना में समग्र रूप से तथा कुल

सारणी V.7: शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाभप्रदता के चुनिंदा संकेतक

वित्तीय संकेतक	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिफल	1.12	0.90	1.14	1.25	1.13	1.09
इक्विटी पर प्रतिफल	10.51	8.65	9.17	10.40	9.73	9.65
निवल ब्याज मार्जिन	2.98	2.89	3.59	3.74	3.31	3.35

टिप्पणी: 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

चार्ट V.10 : सकल अनर्जक आस्तियों की वृद्धि और अनुपात

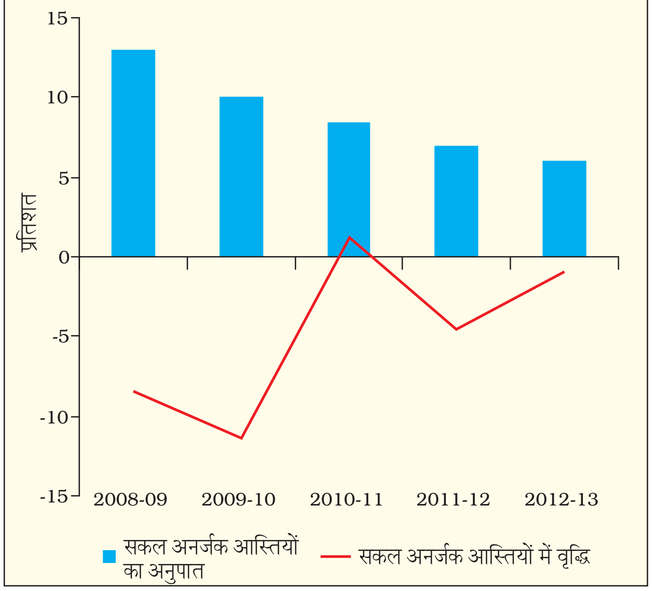

चार्ट V.11 : शहरी सहकारी बैंकों का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

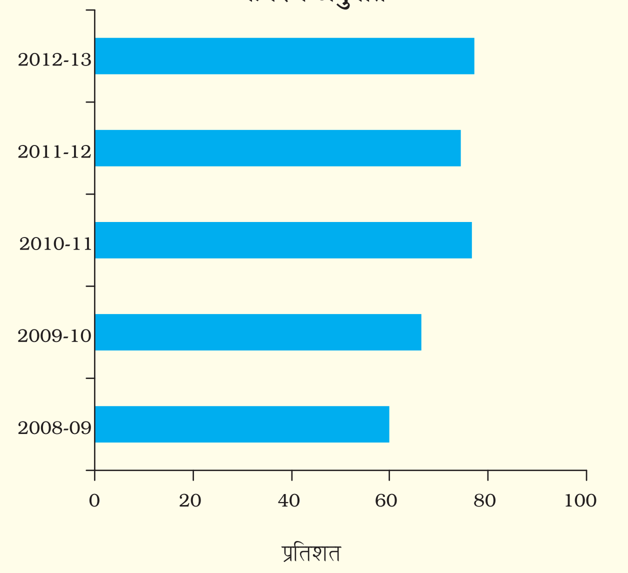

अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत के रूप में 2012-13 में गिरावट दिखी (चार्ट V.10 और सारणी V.8)।

शहरी सहकारी बैंकों के प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में वृद्धि

5.18 वर्षों के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि हुई है (चार्ट V.11)।

2012-13 में लगभग 88 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों ने सांविधिक न्यूनतम स्तर से अधिक सीआरएआर की जानकारी दी

5.19 मार्च 2013 के अंत में 1,415 शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 9 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर के ऊपर रहा (सारणी V.9 और चार्ट V.12)। मार्च 2013 के अंत में 191 अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों शहरी सहकारी बैंकों ने सांविधिक न्यूनतम स्तर से नीचे सीआरएआर सूचित किया। शहरी सहकारी बैंकों में से चार का ऋणात्मक सीआरएआर रहा।

5.20 कुछ शहरी सहकारी बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति के लिए इन संस्थाओं की संरचनात्मक समस्याओं को जिम्मेदार माना जा सकता है । संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011 के विधायन से इन संस्थाओं के प्रबंधन में प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस संशोधन की प्रमुख बातें बॉक्स V.1 में दी गई हैं।

सारणी V.8: शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद/मार्च के अंत में	2012	2013
1	2	3
1. सकल अनर्जक आस्तियां	110	109
2. निवल अनर्जक आस्तियां	28	25
3. सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (प्रतिशत)	7.0	6.0
4. निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (प्रतिशत)	1.9	1.4
5. प्रावधानीकरण (1-2)	82	84
6. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (प्रतिशत) (5/1)	74.4	77.3

टिप्पणी: 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी V.9: शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के अनुसार वितरण

(मार्च 2013 के अंत में)

सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	सभी शहरी सहकारी बैंक
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	5	155	160
3 ≤ सीआरएआर < 6	1	7	8
6 ≤ सीआरएआर < 9	0	23	23
9 ≤ सीआरएआर < 12	9	216	225
12 ≤ सीआरएआर	36	1,154	1,190
जोड़	**51**	**1,555**	**1,606**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

चार्ट V.12: शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के अनुसार वर्गीकरण

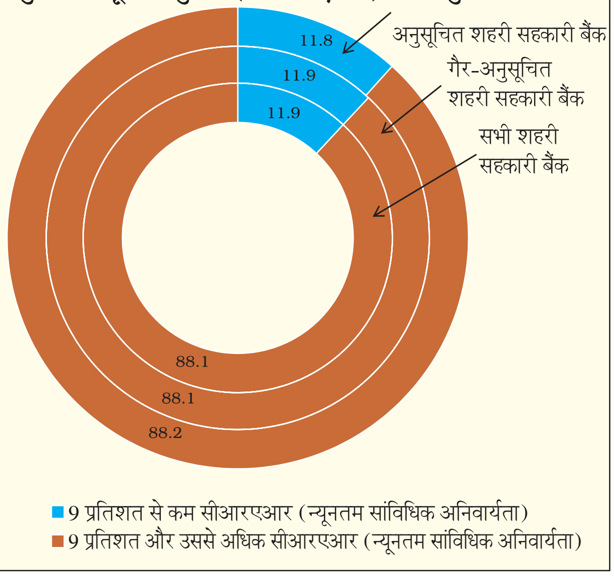

2012-13 में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा छोटे उद्यमों और आवास प्रधान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण

5.21 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण की संरचना से पता चलता है कि 2012-13 में छोटे उद्यमों और आवास क्षेत्र का हिस्सा इन संस्थाओं के कुल ऋण का एक तिहाई से अधिक था। ये संस्थाएं मुख्य रूप से शहरी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं जिससे पता चलता है कि शहरी सहकारी बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में इन दो क्षेत्रों की प्रधानता है (चार्ट V.13 और सारणी V.10)।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग के लिए ऋण के प्रावधान में वृद्धि

5.22 शहरी सहकारी बैंक द्वारा कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करने में लघु उद्यम, आवास ऋण और माइक्रो ऋण ऐसे तीन घटक हैं

बॉक्स V.1:
संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011 की प्रमुख बातें और शहरी सहकारी बैंकों के लिए उसके निहितार्थ

संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011, 15 फरवरी 2012 से इस प्रावधान के साथ लागू हो गया है कि इस अधिनियम के लागू होने अर्थात 14 फरवरी 2013 से एक साल के अंदर राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएं।

संशोधन की प्रमुख बातें

संविधान के भाग III के अनुच्छेद 19 में ''सहकारी सोसाइटी '' शब्द को शामिल किया गया है। तदनुसार, एक सहकारी सोसाइटी बनाना किसी एशोसिएशन अथवा संघ बनाने की तरह मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अधिनियम के अनुच्छेद 243 जेडआई में प्रावधान किया गया है कि राज्य विधि द्वारा स्वैच्छिक निर्माण, प्रजातांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक सहभागिता, स्वायत्त कार्य प्रणाली और पेशेवर प्रबंधन के सिद्धांत के आधार पर सहकारी सोसाइटी के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित प्रावधान बना सकते हैं। इस अधिनियम के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं :

- किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 21 की अधिकतम संख्या के अलावा, इस अधिनियम में दो ऐसे निदेशकों के सहयोजन का प्रावधान किया गया है जिनको बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त में अनुभव हो अथवा वे सोसाइटी के उद्देश्यों और उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित अन्य किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों।
- बोर्ड के चुने गए सदस्यों और इसके पदाधिकारियों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से पांच वर्ष होगा तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के समान होगा।
- किसी सोसाइटी के बोर्ड का अधिक्रमण नहीं किया जाएगा और उसे छह महीने तक की अवधि के लिए निलंबित नहीं रखा जाएगा। यह अवधि, बहु राज्य सहकारी सोसाइटी को छोड़कर, बैंकिंग का कारोबार करने वाली सहकारी सोसाइटी के लिए एक वर्ष की होगी। बैंकिंग कारोबार करने वाली सहकारी सोसाइटी के मामले में, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा।
- ऐसे खातों से संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अंदर सहकारी सोसाइटी के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षक फर्म द्वारा खातों की लेखा परीक्षा की जाएगी।
- कानून में किए गए प्रावधान के अनुसार कारोबार करने के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के अंदर वार्षिक सामान्य बैठक बुलाई जाएगी।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए निहितार्थ

संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011 के प्रावधानों से सभी राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों में एकरूपता आएगी। शहरी सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में किए गए संशोधनों के कुछ निहितार्थ इस प्रकार हैं:

- *बोर्ड का अधिक्रमण* : वर्तमान में, कई राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड को निलंबित /अधिक्रमित किया जा सकता है। यह अवधि छह माह तक सीमित होगी। रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड को सहकारी सोसाइटी पंजीयक द्वारा अधिक्रमित किए जाने का प्रावधान जारी रहेगी। बहुराज्य सहकारी बैंक के बोर्ड को

(जारी...)

(...समाप्त)

पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिक्रमित किया जा सकता है जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 36एएए के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

- *प्रोफेशनल निदेशकों का सह-योजन* : चूंकि अधिनियम में बैंकिंग, प्रबंधन और वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले दो प्रोफेशनल निदेशकों के सह-योजन का प्रावधान किया गया है, इससे शहरी सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली पेशेवर होगी। रिज़र्व बैंक ने पहले ही निर्धारित किया था कि शहरी सहकारी बैंक अपने बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशक रखें। इस संबंध में राज्य अधिनियमों में संशोधन से भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेश कानून के अंतर्गत लागू करने योग्य हो जाएंगे।
- *किसी लेखा परीक्षक की नियुक्ति* : अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योग्य लेखा परीक्षकों के पैनल से सहकारी सोसाइटी के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त एक योग्य लेखापरीक्षक से लेखा परीक्षण कराया जाएगा। राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, लेखा परीक्षक की नियुक्ति सहकारी सोसाइटी पंजीयक द्वारा की जाती है।
- *बोर्ड का चुनाव* : चूंकि अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि बोर्ड का चुनाव बोर्ड की अवधि समाप्त होने के पहले कराया जाएगा, शहरी सहकारी बोर्ड का चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा।
- अधिनियम से शहरी सहकारी बैंकों की गतिविधियों में सदस्यों की सहभागिता भी बढ़ेगी क्योंकि सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थित होने और सेवाओं के उपयोग करने की न्यूनतम अपेक्षा कानूनन राज्यों द्वारा तय की जाएगी।

इन संशोधनों से शहरी सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली और कार्य निष्पादन में सुधार होने की आशा है।

स्रोत : *संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011, भारत सरकार।*

जिनको प्राथमिकता प्रदान की गई है। 2012-13 में कमजोर वर्ग को प्रदत्त कुल ऋण में वृद्धि हुई है जो शहरी सहकारी बैंकों के बेहतर वित्तीय समावेशन के प्रयासों को परिलक्षित करता है (चार्ट V.14)।

पश्चिमी क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार का संकेद्रण जारी रहा

5.23 शहरी सहकारी बैंकों का बैंकिंग कारोबार, जिसमें जमा और अग्रिम शामिल हैं, पश्चिमी क्षेत्र में व्यापक रूप से संकेंद्रित बना रहा। इन बैंकों के बैंकिंग कारोबार का लगभग छठवां भाग

चार्ट V.13: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा चुनिंदा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण का प्रतिशत

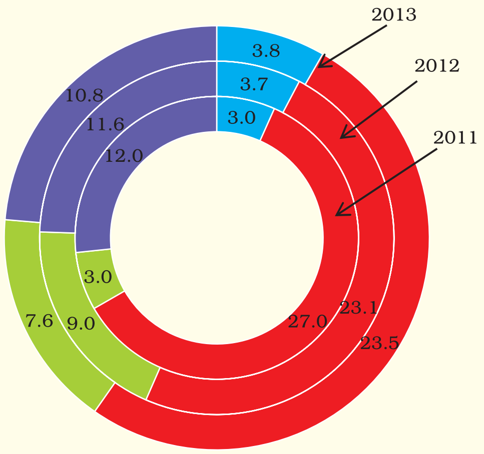

सारणी V.10: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋण की संरचना
(मार्च 2013 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

क्षेत्र	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल ऋण की संरचना		*जिसमें से,* कमजोर वर्ग को दिया गया ऋण	
	राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. कृषि ऋण	**68**	**3.8**	**23**	**1.3**
1.1 प्रत्यक्ष कृषि ऋण	25	1.4	7	0.4
1.2 अप्रत्यक्ष कृषि ऋण	43	2.4	16	0.9
2. लघु उद्यम	**425**	**23.5**	**77**	**4.2**
2.1 लघु उद्यमों को प्रत्यक्ष ऋण	368	20.3	62	3.4
2.2 लघु उद्यमों को अप्रत्यक्ष ऋण	57	3.2	15	0.8
3. अति लघु ऋण	**138**	**7.6**	**49**	**2.7**
3.1 स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह को ऋण	17	0.9	6	0.3
3.2 अन्य को दिया गया ऋण	121	6.7	43	2.4
4. अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए राज्य प्रायोजित संगठन	**1**	**0.1**	**0.5**	-
5. शिक्षा ऋण	**17**	**0.9**	**7**	**0.4**
6. आवास ऋण	**195**	**10.8**	**68**	**3.7**
7. स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह को ऋण (रु.50,000 से अधिक)	**10**	**0.5**	**2**	**0.1**
सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**853**	**47.1**	**225**	**12.4**

-: नगण्य।

टिप्पणी: 1. प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के कुल ऋणों के संदर्भ में दिया गया है।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।

चार्ट V.14 : कुल ऋण में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग को दिए गए ऋण का वितरण

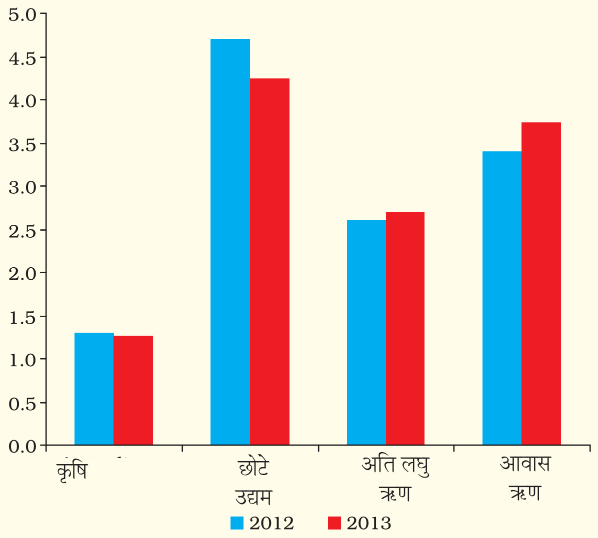

सारणी V.11: विभिन्न क्षेत्रों में शहरी सहकारी बैंकों के जिलों और बैंकिंग कारोबार का संवितरण

क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग व्यवसाय में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3
	कम संकेंद्रण वाले क्षेत्र	
उत्तरी क्षेत्र	18.0	3.2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	10.8	0.4
पूर्वी क्षेत्र	18.0	1.7
मध्यवर्ती क्षेत्र	26.3	3.4
उप-जोड़	**73.1**	**8.7**
	अधिक संकेंद्रण वाले क्षेत्र	
पश्चिमी क्षेत्र	10.2	74.7
दक्षिणी क्षेत्र	16.7	16.6
उप जोड़	**26.9**	**91.3**
संपूर्ण भारत	**100.0**	**100.0**

दक्षिणी क्षेत्र में था जो बडे अंतर सहित दूसरे स्थान पर था। भारत के कुल जिलों में से 27 प्रतिशत जिलों सहित इन दो क्षेत्रों का हिस्सा शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग कारोबार का लगभग 91 प्रतिशत रहा (सारणी V.11 और परिशिष्ट सारणी V.3)। दूसरी तरफ, कुल जिलों में से 73 प्रतिशत जिलों वाले शेष चार क्षेत्रों का हिस्सा शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग कारोबार में लगभग 9 प्रतिशत था।

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं[3]

अल्पकालिक सहकारी संस्थाएं, ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना में आगे बनी हुई हैं

5.24 कृषि ऋण प्रदान करने में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की भूमिका अनेक कारणों से वर्षों के दौरान कमजोर हुई है जो कुल कृषि ऋण में इन संस्थाओं का हिस्सा 1992-93 में 64 प्रतिशत था जो 2011-12 में घटकर लगभग 17 प्रतिशत रह गया जिसके कारण ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं में सुधारात्मक उपाय आवश्यक हो गए हैं। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत, कृषि क्षेत्र[4] को ऋण प्रदान करने में अल्पकालिक ऋण सहकारी संस्थाओं की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मार्च 2012 के अंत में अल्पकालिक ऋण सहकारी संस्थाओं का हिस्सा, जिसमें राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की कुल आस्तियों के 90 प्रतिशत से ऊपर बना रहा जबकि कुल आस्तियों का शेष 10 प्रतिशत हिस्सा दीर्घकालिक ऋण सहकारी संस्थाओं का रहा (चार्ट V.15 और सारणी V.12)[5]।

[3] ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए आंकड़ों की अंतराल के बाद उपलब्धता को देखते हुए यह खंड वर्ष 2011-12 पर आधारित है।

[4] अल्पकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और गांव स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं। 19 राज्यों में, एक 3 टियर वाला अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा है जिसमें राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं और 12 राज्यों में, एक 2 टियर वाला अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा है। सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में, राज्य सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मिलाकर एक 2 टियर वाला ढांचा है।

[5] दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में राज्य स्तर पर कार्यरत राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एसीएआरडीबी) और जिला/खंड स्तर पर कार्यरत प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) शामिल हैं। असम और त्रिपुरा को छोड़कर अधिकांश उत्तर-पूर्वी राज्यों में दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का कोई अलग ढांचा नहीं है। असम और त्रिपुरा तथा बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी एक एकहरा ढांचा है, जहाँ पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिला स्तर पर अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की कोई अलग सत्ता नहीं है। इसके विपरीत, हिमांचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में एक संघात्मक ढांचा है जिसमें राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक मिश्रित ढांचा है जहाँ पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।

चार्ट V.15: अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण सहकारी संस्थाओं के अनुसार ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे की संरचना

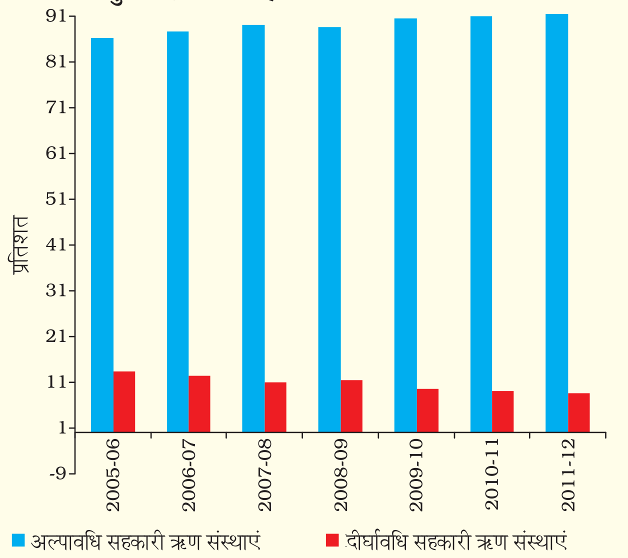

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को हुई हानि से राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लाभप्रदता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जिसके चलते अल्पकालिक सहकारी संस्थाओं को घाटा हुआ

5.25 समग्र स्तर पर, अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में 2011-12 में पिछले तीन वर्षों की लाभप्रदता के विपरीत हानियां हुई जो मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा उठाई गई हानियों के कारण थी। जबकि 2011-12 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का निवल लाभ कम हुआ, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों अर्थात 3 टियर वाले अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के तीसरे स्तर द्वारा उठाई गयी हानियों ने अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के अन्य दो टियरों के लाभों को कम कर दिया। दीर्घकालिक ऋण सहकारी संस्थाओं के लाभ में निरंतर गिरावट दिखी (चार्ट V.16)।

सारणी V.12: ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का स्वरूप
(मार्च 2012 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडी	पीसीएआरडी
1	2	3	4	5	6
अ. सहकारी संस्थाओं की संख्या	31	370	92,432	20	697
आ. तुलन पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधियां (पूंजी + आरक्षित निधियां)	145	359	160	64	48
ii. जमाराशियां	867	1768	503	11	5
iii. उधार	427	505	888	160	135
iv. ऋण और अग्रिम	756	1448	912	194	120
v. कुल देयताएं/आस्तियां	1,479	2,573	1,605+	294	262
इ. वित्तीय कार्य-निष्पादन					
i. लाभ कमाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	28	318	45,433	10	358
ख. लाभ की राशि	7	17	14	1	2
ii. घाटा उठाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	3	52	36,375	10	338
ख. लाभ की राशि	2	3	34	3	4
iii. समग्र लाभ (+) / हानि (-)	5	14	-20	-2	-2
ई. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	52	154	243++	64	47
ii. बकाया कर्ज के प्रतिशत के रूप में	6.8	9.7	26.8	33.1	38.6
उ. मांग की तुलना में ऋण वसूली अनुपात (प्रतिशत)	96	78	73	41.3	47.3

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
-: उपलब्ध नहीं है। +: कार्यशील पूंजी। ++: कुल बकाया राशि
टिप्पणी: 1. वर्ष 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. मणिपुर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कार्यशील नहीं हैं।
स्रोत: नाबार्ड और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ (एनएएफएससीओबी)।

चार्ट V.16: ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की लाभप्रदता

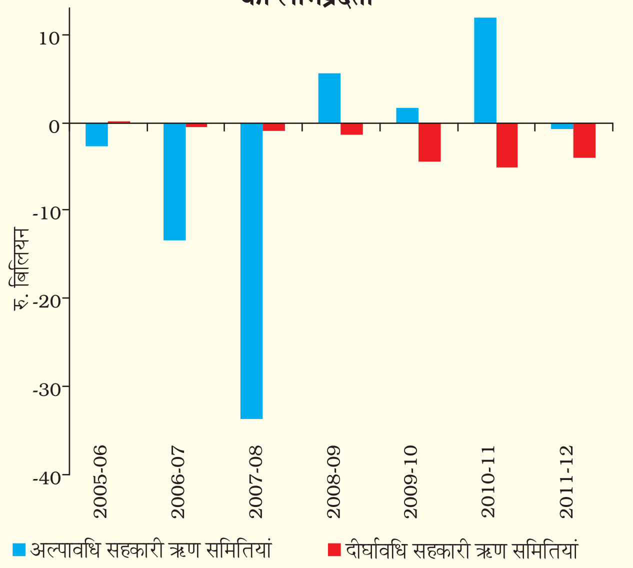

अल्पकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं

राज्य सहकारी बैंक

2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्र में सुदृढ़ वृद्धि

5.26 2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्र में सुदृढ़ वृद्धि हुई। 2011-12 में उधारों में उच्च वृद्धि से उनके तुलन पत्र के देयता पक्ष में वृद्धि हुई, जबकि आस्ति पक्ष में वृद्धि मुख्य रूप से कर्जों और अग्रिमों में वृद्धि के कारण हुई (सारणी V.13)।

2012-13 में अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्र में निरंतर वृद्धि

5.27 उभरती प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए खंड 42 (2) विवरणियों में उपलब्ध अग्रिम सूचना के आधार पर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के 2012-13 के तुलन पत्रों का विश्लेषण किया गया। रुझानों से पता चलता है कि ऋण में काफी अधिक वृद्धि हुई जबकि 2012-13 में जमाराशियों में मामूली वृद्धि हुई, जो ऋण मांग को पूरा करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों के उधारों पर निर्भरता को परिलक्षित करता है (सारणी V.14)।

आय में उच्च वृद्धि के कारण 2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में काफी अधिक सुधार हुआ

5.28 2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों का निवल लाभ 2010-11 में इन संस्थाओं के द्वारा दर्ज राशि के दोगुने से अधिक था (सारणी V.15)। राज्य सहकारी बैंकों की बढ़ी हुई लाभप्रदता इस कारण थी क्योंकि आय में वृद्धि व्यय की तुलना में तेजी से हुई। आय

सारणी V.13: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत अंतर	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	21 (1.6)	26 (1.7)	26.7	23.8
2. आरक्षित निधियां	118 (8.8)	120 (8.1)	54.8	1.7
3. जमाराशियां	809 (60.6)	849 (57.2)	-0.4	4.9
4. उधार	324 (24.3)	417 (28.1)	38.3	28.6
5. अन्य देयताएं	64 (4.8)	72 (4.9)	-28.7	12.5
आस्तियां				
1. नगदी और बैंक शेष	83 (6.2)	94 (6.4)	-21.1	13.3
2. निवेश	525 (39.3)	566 (38.1)	-5.2	7.8
3. ऋण और अग्रिम	660 (49.4)	756 (51.0)	33.9	14.5
4. अन्य आस्तियां	68 (5.1)	67 (4.5)	-11.5	1.5
कुल देयताएं/ आस्तियां	**1,336 (100.0)**	**1,483 (100.0)**	**8.7**	**11.0**

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।
स्रोत: नाबार्ड

सारणी V.14: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतकों की प्रवृत्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4
जमाराशियां	594 (-8.9)	640 (7.8)	715 (11.6)
ऋण	587 (35.4)	694 (18.3)	853 (22.9)
एसएलआर निवेश	213 (-10.8)	209 (-1.8)	225 (7.7)
ऋण + एसएलआर निवेश	800 (19.0)	904 (12.9)	1078 (19.3)

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि को सूचित करते हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत अंतिम फॉर्म ए/बी।

सारणी V.15: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	निम्नलिखित के दौरान		प्रतिशत अंतर	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**93**	**102**	**12.8**	**9.7**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज से आय	88	97	12.7	10.2
	(94.9)	(95.0)		
ii. अन्य आय	5	5	14.4	12.4
	(5.1)	(5.3)		
आ. व्यय (i+ii+iii)	**91**	**97**	**13.7**	**6.8**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज व्यय	71	79	7.6	11.3
	(78.2)	(80.9)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	8	5	98.9	-37.5
	(8.7)	(5.3)		
iii. परिचालन व्यय	12	13	19.7	8.3
	(13.2)	(13.8)		
जिनमें से, मजदूरी बिल	7	8	27.3	2.9
	(8.2)	(7.9)		
इ. लाभ				
i. परिचालन लाभ	10	10	54.9	4.8
ii. निवल लाभ	2	5	-16.5	155.9

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय का प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

में वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज आय से हुई है। व्यय पक्ष में, इसमें वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज व्यय के कारण हुई।

2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार

5.29 2011-12 में राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों की राशि में कमी आई। ऐसा मुख्य रूप से उप मानक आस्तियों और संदिग्ध आस्तियों में कमी के कारण था (सारणी V.16)। प्रत्याशित वसूली के अनुपात के रूप में कर्ज वसूली की राशि को मापने वाले माँग - वसूली अनुपात में, 2011-12 में लगभग 94 प्रतिशत का सुधार हुआ जिसके फलस्वरूप अनर्जक आस्ति अनुपात कम रहा।

राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता में दृष्टिगोचर सुधार दिखा

5.30 हाल के वर्षों में राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता में काफी अधिक सुधार हुआ है। 2008 और 2012 के बीच राज्य सहकारी बैंकों के एनपीए अनुपात में निरंतर गिरावट दिखी जबकि इसी अवधि के दौरान वसूली अनुपात में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई (चार्ट V.17)।

सारणी V.16: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
अ. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	56	52	29.3	-7.1
i. अवमानक	17	15	30.1	-11.8
	(30.8)	(28.4)		
ii. संदिग्ध	26	23	15.0	-11.5
	(45.3)	(45.3)		
iii. हानि	13	14	67.5	1.1
	(23.9)	(26.3)		
आ. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**8.6**	**6.8**	-	-
इ. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	**91.8**	**93.9**	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में अधिकांश क्षेत्रों में सुधार हुआ

5.31 एनपीए और वसूली अनुपात के संदर्भ में राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में अधिकांश क्षेत्रों में सुधार हुआ जो कि

चार्ट V.17: राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के संकेतक

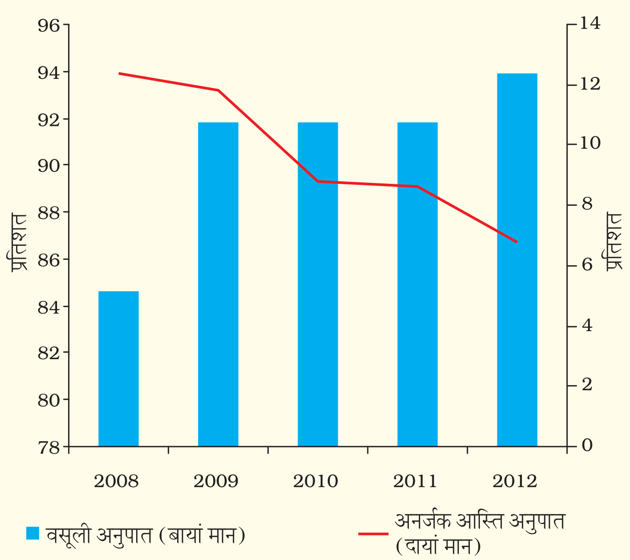

चार्ट V.18 : राज्य सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति

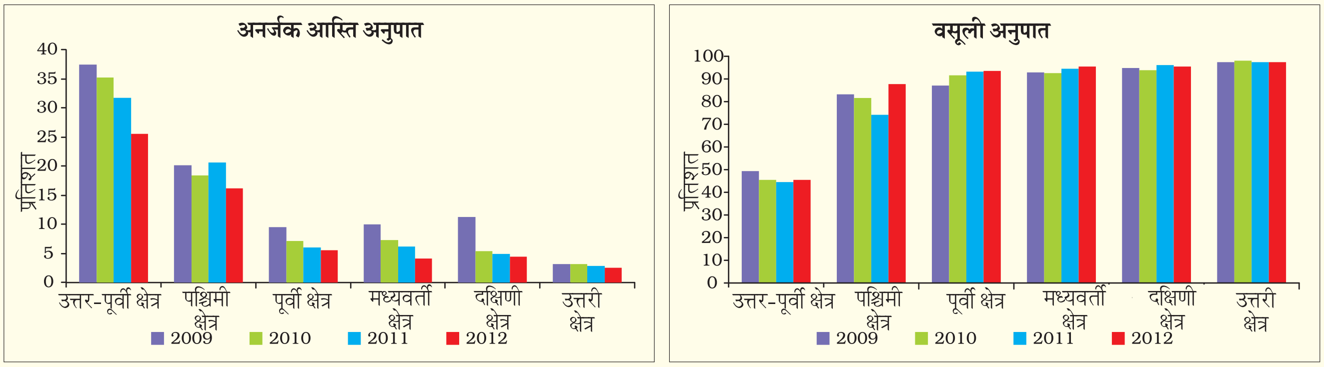

स्रोत : नाबार्ड

विवेकसम्मत मानदंडों और विनियमन की मजबूती को दर्शाता है (चार्ट V.18 और परिशिष्ट सारणी V.4)। जहां एनपीए अनुपात में सभी क्षेत्रों में गिरावट हुई वहीं वसूली अनुपात में अन्य क्षेत्रों के विपरीत दक्षिणी क्षेत्र में कुछ गिरावट हुई।

5.32 सुस्थापित सहकारी ऋण प्रणाली वाले पश्चिमी क्षेत्र में वसूली अनुपात में काफी सुधार हुआ किंतु 2012 में इस क्षेत्र का एनपीए अनुपात 16 प्रतिशत से अधिक के साथ काफी अधिक रहा। दूसरी ओर, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत थी जिसमें वर्ष के दौरान उनका एनपीए 5 प्रतिशत से कम था और वसूली अनुपात 95 प्रतिशत से अधिक था।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलनपत्र में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में स्थायी वृद्धि हुई

5.33 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलनपत्र में 2011-12 में लगभग स्थिर वृद्धि हुई जो पूर्ववर्ती वर्ष जैसी ही थी (सारणी V.17)।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लाभ में 2011-12 में सुधार

5.34 निवल लाभ के संदर्भ में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन बेहतर रहा। इस सुधार को राज्य सहकारी बैंकों के मामले में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप ब्याज आय में हुई वृद्धि से सहायता मिली । कुल आय में ब्याज आय का हिस्सा लगभग 94 प्रतिशत था। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के स्टाफ और अन्य मदों का परिचालन व्यय

सारणी V.17: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	80 (3.1)	90 (3.1)	9.0	12.5
2. आरक्षित निधियां	251 (9.7)	269 (9.2)	74.2	7.2
3. जमाराशियां	1,680 (65.2)	1,842 (62.7)	9.9	9.6
4. उधार	425 (16.5)	508 (17.3)	48.3	19.5
5. अन्य देयताएं	143 (5.5)	229 (7.8)	-35.7	60.4
आस्तियां				
1. नगदी एवं बैंक शेष	188 (7.3)	200 (6.8)	22.4	6.4
2. निवेश	861 (33.4)	932 (31.7)	9.2	8.2
3. ऋण और अग्रिम	1,318 (51.1)	1,579 (53.8)	19.1	19.8
4. अन्य आस्तियां	211 (8.2)	226 (7.7)	2.8	7.0
कुल देयताएं/आस्तियां	**2,578 (100.0)**	**2,937 (100.0)**	**14.4**	**13.9**

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्तियों/देयताओं का प्रतिशत हैं।
2. 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।
3. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि रु. बिलियन में)

मद	के दौरान		प्रतिशत घट-बढ़	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**191**	**230**	**7.7**	**20.3**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज से आय	179	216	12.1	21.0
	(93.6)	(94.2)		
ii. अन्य आय	12	13	-31.7	8.3
	(6.4)	(5.8)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**181**	**216**	**9.2**	**19.3**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. खर्च किया गया ब्याज	113	136	9.1	20.3
	(62.3)	(62.9)		
ii. प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	21	24	-5.7	14.2
	(11.6)	(11.1)		
iii. परिचालन व्यय	47	56	17.7	19.1
	(26.1)	(26.0)		
जिसमें से, वेतन बिल	31	33	19.3	6.4
	(17.3)	(15.4)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	31	38	8.5	23.3
ii. निवल लाभ	10	14	-14.0	42.7

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय का प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में अधिक बना रहा जिसका कारण बैंकों का व्यापक नेटवर्क था (सारणी V.18)।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार

5.35 2011-12 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ जिसमें उनके एनपीए अनुपात में गिरावट हुई (सारणी V.19)। यह सामान्यत:राज्य सहकारी बैंकों के मामले में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप थी (सारणी V.19 और सारणी V.16)। किंतु जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का वसूली अनुपात 2011-12 में हुए कुछ सुधार के बावजूद राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में काफी कम था जो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में अपेक्षित और वास्तविक सुधार के बीच के व्यापक अंतर को दर्शाता है।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतकों में सुधार

5.36 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतकों में हाल के वर्षों में निरंतर सुधार दिखा है जो इन संस्थाओं के लिए लागू

सारणी V.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
अ. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ ii + iii)	**148**	**154**	**-9.5**	**4.0**
i) अवमानक	59	60	-19.1	1.7
	(39.9)	(39.0)		
ii) संदिग्ध	62	68	-3.5	9.7
	(41.9)	(44.2)		
iii) हानि	27	26	2.1	-3.7
	(18.2)	(16.8)		
ब. ऋण-अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**11.2**	**9.7**	-	-
स. मांग-वसूली अनुपात (%)	**79.1**	**81.9**	-	-

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।
3. कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

किए गए सुदृढ़ विवेकसम्मत मानदंडों और विनियमनों को दर्शाता है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वसूली अनुपात में कुछ वृद्धि हुई जबकि एनपीए अनुपात में गिरावट दर्ज हुई (चार्ट V.19)।

चार्ट V.19 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ता के संकेतक

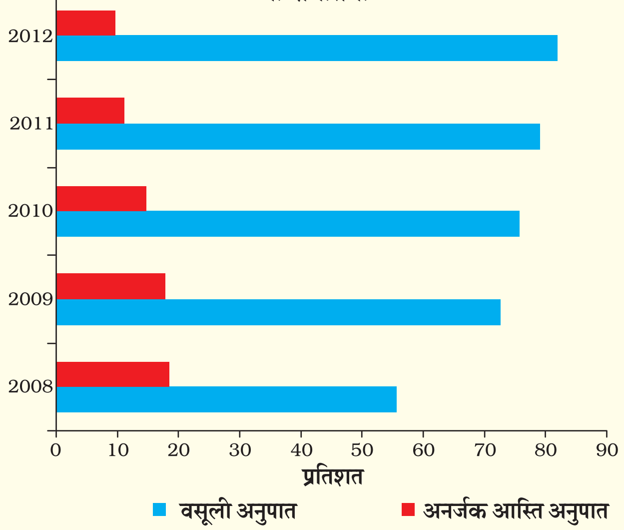

स्रोत : नाबार्ड

चार्ट V.20 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति

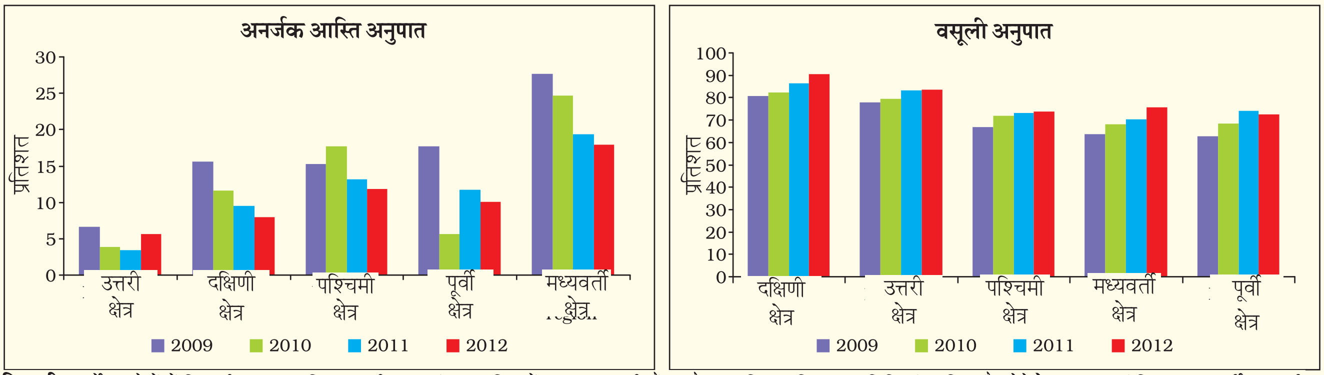

टिप्पणी: पूर्वोत्तर क्षेत्रों में द्विस्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना, जिसमें राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं, होने के कारण वहां जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मौजूद नहीं हैं। अतः इन्हें चार्ट में प्रदर्शित नहीं किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में कुछ सुधार हुआ किंतु राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में वसूली कम रही

5.37 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में समग्र स्तर पर सुधार हुआ। क्षेत्रवार कार्य-निष्पादन से पता चलता है कि दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक वित्तीय रूप से मजबूत थे क्योंकि उनका एनपीए कम था और वसूली अनुपात अधिक था (चार्ट V.20 और परिशिष्ट सारणी V.5)। केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति तुलनात्मक रूप से कम सुदृढ़ दिखी। किंतु वर्षों के दौरान इन दोनों संकेतकों के संदर्भ में क्षेत्रवार अंतर काफी कम हो गया है जो एक संस्था के रूप में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की स्थिति में सुधार को दर्शाता है।

V.38 एनपीए अनुपात में गिरावट और वसूली अनुपात में वृद्धि के बावजूद यह समझने की जरूरत है कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में सामान्यत: काफी कमजोर बने रहे (चार्ट V.21)। सहकारी संस्थाओं की स्थिति के प्रमुख संकेतक अर्थात एनपीए अनुपात राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में निरंतर उच्च बने रहे। इसके अलावा, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वसूली अनुपात राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में काफी कम बना रहा।

चार्ट V.21: राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता की तुलना

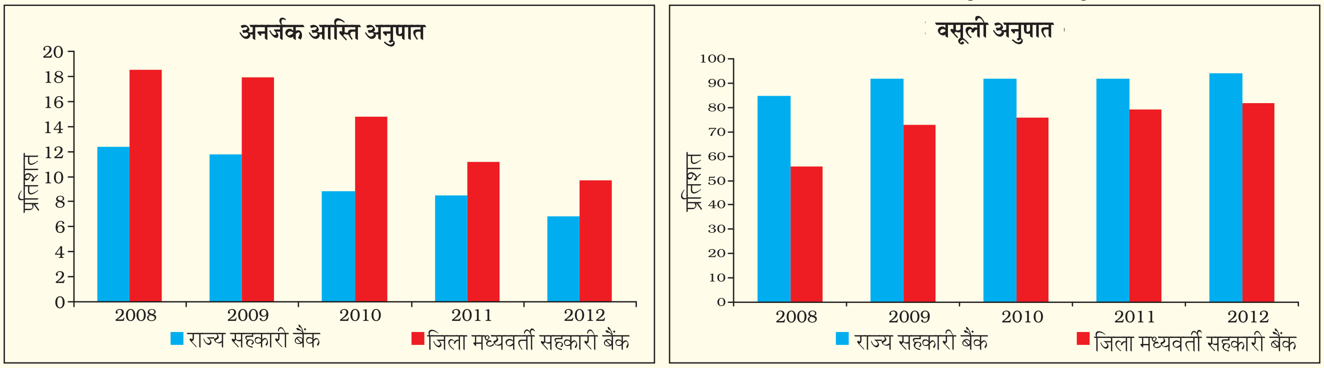

स्रोत: नाबार्ड।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की ऋण वृद्धि में 2011-12 में तेज गिरावट हुई

5.39 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की ऋण वृद्धि में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में तेज गिरावट हुई (चार्ट V.22 और V.20 सारणी)।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सदस्य-उधारकर्ता अनुपात कम रहा

5.40 सदस्य-उधारकर्ता अनुपात प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से ऋण प्राप्ति तक पहुंच का उपयोगी संकेतक है। 2008-09 से 2011-12 के दौरान यह औसत अनुपात लगभग 40 प्रतिशत रहा जो यह दर्शाता है कि आधी से भी कम प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों ने ही इन संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया। छोटे किसानों से संबंधित सदस्य-उधारकर्ता अनुपात समग्र सदस्य-उधारकर्ता अनुपात के काफी आस-पास रहा है। तथापि इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के बीच औसत अनुपात 28 प्रतिशत पर था जो काफी कम था (चार्ट V.23)।

सारणी V.20: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - चयनित तुलन-पत्र संकेतक

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में 2011	मार्च के अंत में 2012	प्रतिशत घट-बढ़ 2011-12
1	2	3	4
क. देयताएं			
1. कुल संसाधन (2+3+4)	1,057	1,551	46.7
2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख)	145	160	10.3
क. प्रदत्त पूंजी	76	83	9.2
जिसमें से, सरकार का अंशदान	6	7	16.7
ख. कुल आरक्षित निधियां	69	77	11.8
3. जमाराशि	372	503	35.2
4. उधार	540	888	64.5
5. कार्यशील पूंजी	1,442	1,605	11.3
ख. आस्तियां			
1. कुल बकाया ऋण (क+ख)	878	912	3.9
अ) अल्पावधि	636	594	-6.6
आ) मध्यावधि	241	318	31.8

टिप्पणी: कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर आ सकता है।

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

चार्ट V.22 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बकाया ऋण में वृद्धि

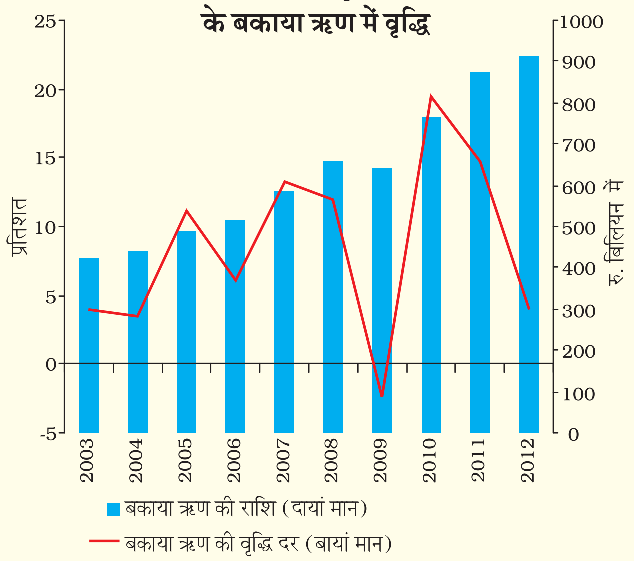

स्रोत : एनएएफएससीओबी

हानि में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या काफी बनी रही

5.41 हाल के वर्षों में हानि में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रतिशत में कमी आने के बावजूद यह प्रतिशत अधिक बना रहा। हानि में चल रही इन समितियों के प्रतिशत में कमी आने

चार्ट V.23 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सदस्य-उधारकर्ता अनुपात

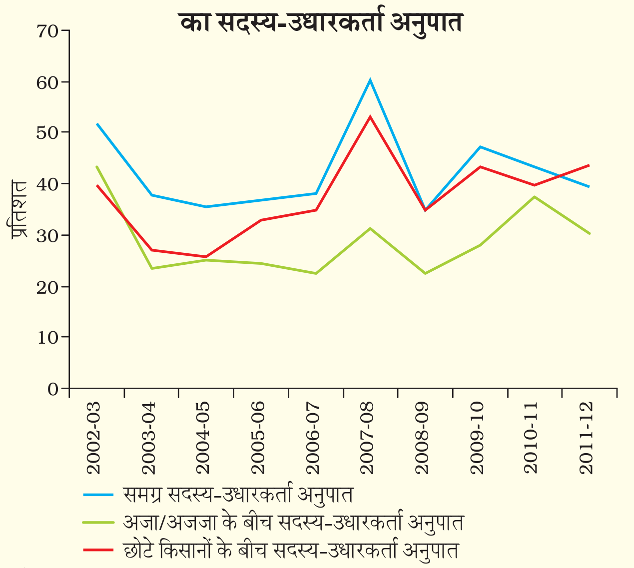

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

चार्ट V.24: लाभ तथा हानि में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत

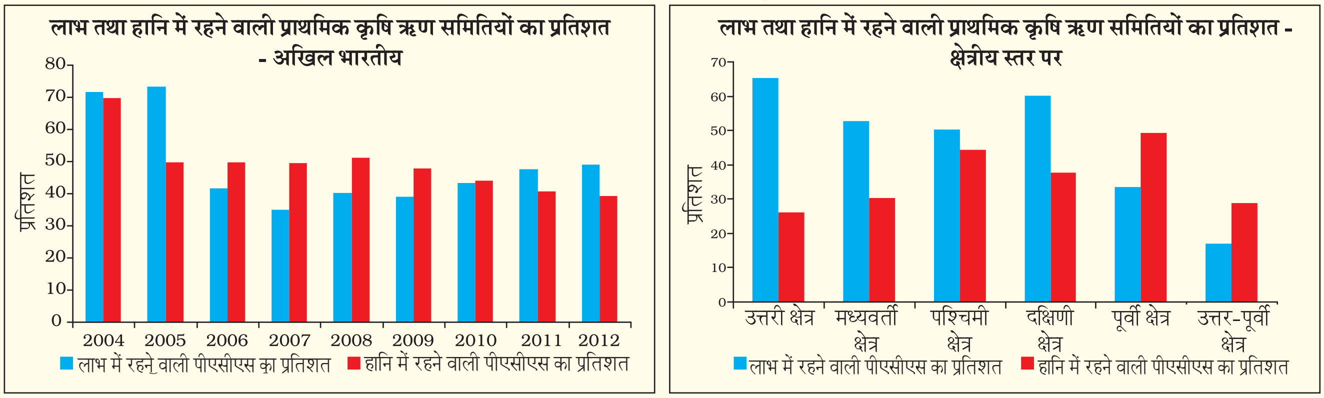

की गति लाभ में चल रही इन समितियों के प्रतिशत में वृद्धि से कम रही। मार्च 2012 के अंत में हानि में चल रही इन समितियों का प्रतिशत इनकी कुल संख्या का लगभग 39.4 था जबकि लाभ प्राप्त करने वाली समितियों का प्रतिशत 49.2 था (चार्ट V.24)[6]।

5.42 रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण देने में अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की भूमिका की पुन: जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने विभिन्न जोखिमधारकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए अनेक सिफारिशें की हैं (बॉक्स V.2)।

बॉक्स V.2 :
त्रि-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जांच संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

अन्य बातों के साथ-साथ, कम पूंजीकरण भी एक ऐसी समस्या है जो कि त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संस्थाओं को प्रभावित कर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण पर वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया गया था। पूंजी की आपूर्ति के बाद भी 19 जुलाई 2013 को चार राज्यों में 23 बिना लाइसेंस वाले बैंक लाइसेंस के मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ थे क्योंकि इन संस्थाओं को लाइसेंस जारी करना इस बात पर निर्भर था कि वे 4 प्रतिशत का न्यूनतम जोखिम-भारित पूंजी अनुपात प्राप्त कर लें। इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने त्रि-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ.प्रकाश बक्शी) का गठन किया जिसे यह दायित्व सौंपा गया कि वह : (i) अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) की कृषि ऋण में महत्त्वपूर्ण भूमिका की दृष्टि से उनके कार्य की पुन: जांच करे; (ii) उन मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों की पहचान करे जो दीर्घावधि में सक्षम नहीं रह पाएंगे, भले ही उन्होंने शिथिल किए हुए लाइसेंस मानदंड पूरे कर लिए हों; (iii) समामेलन, विलय, अधिग्रहण, परिसमापन और स्तरों को कम करके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त प्रणाली का सुझाएं; और (iv) सहकारी बैंकों और विभिन्न जोखिम धारकों द्वारा लिए जाने वाले सक्रिय उपाय सुझाए। इस समिति ने रिज़र्व बैंक को अपनी रिपोर्ट जनवरी 2013 में सौंपी।

समिति द्वारा पाई गई प्रमुख बातें और सिफारिशें निम्नवत हैं:

पाई गई बातें

- कृषि ऋण उपलब्ध कराने में अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का हिस्सा समग्र स्तर पर कम होकर 17 प्रतिशत रह गया।
- अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के गठन का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि वे कृषि ऋण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें अपने परिचालन क्षेत्र में कृषि ऋण आवश्यकता का कम-से-कम 15 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराना चाहिए और और इसे क्रमश: 30 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिया गया लगभग 40 प्रतिशत कर्ज और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया लगभग आधा कर्ज कृषि से भिन्न उद्देश्यों के लिए होता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और मध्यवर्ती सहकारी बैंक वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस कार्य के लिए उनका गठन किया गया था।
- 370 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से लगभग 209 को 2016-17 तक 9 प्रतिशत सीआरएआर पूरा करने के लिए चार वर्षों में कुल 65 बिलियन रुपए की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी।
- राज्य सहकारी बैंकों में रखी जमाराशि में से लगभग दो तिहाई भाग मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की जमाराशि है जो एसएलआर और सीआरआर अपेक्षा पूरी करने के लिए रखी गई है। किंतु राज्य

(जारी...)

[6] जहाँ तक शेष प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बात है, उन्होंने न तो समतुल्य स्थिति या न ही लाभ और न ही हानि की सूचना दी अथवा उनकी वित्तीय स्थिति की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(...समाप्त)

सहकारी बैंकों ने इन्हीं मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को बहुत बड़ी मात्रा में उधार दिए हैं और ऐसे उधार में निवेश किया था जो कि सामान्यत: उच्च एनपीए में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा रखी गई एसएलआर और सीआरआर जमाराशियां जोखिम में आ गईं।

सिफारिशें

- मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा कम-से-कम 70 प्रतिशत उधार कृषि के लिए दिया जाना चाहिए। यदि कोई मध्यवर्ती सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक निरंतर सही कार्य-निष्पादन नहीं करता या उसके परिचालन क्षेत्र में उसका कृषि ऋण 15 प्रतिशत से कम रहता है तो उसे शहरी सहकारी बैंक घोषित किया जाना चाहिए और उसके साथ शहरी सहकारी बैंकों जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों, जहां कृषि ऋण कम महत्वपूर्ण होता है और वे शहरी जनसंख्या की जरूरतें पूरी करते हैं, उन्हें शहरी सहकारी बैंक घोषित किया जाना चाहिए ।
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों की जमाराशियां डीआईसीजीसी द्वारा कवर नहीं होतीं और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), जारी करने की स्थिति में नहीं होती हैं, जो लेनदेन योग्य होते हैं / एटीएम और पीओएस उपकरणों पर कार्य करते हैं क्योंकि वे बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं। अत: मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बिजनेस कॉरेसपांडेंट के रूप में उपयोग करते हुए इन सेवाओं को सीधे ही उपलब्ध कराना चाहिए। अत: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सामान्य शेयरधारक सदस्य बन जाएंगे जिन्हें सभी सक्रिय सदस्यों जैसा मताधिकार भी हागा।
- जमाराशि संग्रहण और ऋण संवितरण के उद्देश्य से सक्रिय सदस्यों की परिभाषा के संबंध में प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियमावली और उप-नियमों में संशोधन आवश्यक होगा।
- रिज़र्व बैंक को मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को इस बात की अनुमति देनी चाहिए कि वे अपने सदस्यों के लिए 10 वर्ष और अधिक की बंधित अवधि के नियत ब्याज वाली जमाराशियां जारी कर सकें और ऐसी जमाराशियों को टियर-I पूंजी माना जाए। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को स्थायी बांड या कर्ज लिखत, जिनका अंशदान राज्यों, एकल व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, जारी करने की अनुमति मिलनी चाहिए और इन्हें टियर-I पूंजी माना जाएगा।
- रिज़र्व बैंक टियर-II पूंजी को पांच वर्ष की अवधि के लिए टियर-I पूंजी निधि के 150 प्रतिशत तक को टियर-I पूंजी मानने की अनुमति दे सकता है।
- राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सीबीएस और अन्य आईसीटी प्लेटफार्म में अंतरण के परिणामस्वरूप मानव संसाधन आवश्यकता का आकलन किए जाने की आवश्यकता है।
- रिज़र्व बैंक किसी भी मध्यवर्ती सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस संशोधित कर सकता है ताकि अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र शामिल किया जा सके जिससे कोई प्राथमिक कृषि ऋण समिति किसी मध्यवर्ती सहकारी बैंक के बिजनेस कॉरेसपांडेंट के रूप में कार्य कर सके।
- बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है ताकि बोर्ड को अधिक्रमित करने या राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड से किसी भी निदेशक को हटाने के लिए रिज़र्व बैंक को किसी अन्य विधि के ऊपर सीधे और अधिप्रभावी अधिकार मिल सकें।
- सभी राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सीबीएस पर पूरी तरह से परिचालित होने और आरटीजीएस, एनईएफटी, एटीएम और पीओएस उपकरण आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 30 सितंबर 2013 को अंतिम समय सीमा बनाया जाए।
- राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को वित्तीय समावेशन और ईबीटी अभियान में पूर्णत: शामिल किया जाए। सरकारों और सरकारी संस्थाओं की जमाराशियां उन राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में रखी जाएं जिन्होंने 7 प्रतिशत सीआरएआर पूरा कर लिया है और जो सीबीएस आधारित हैं।
- राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को बैंकिंग लोकपाल या रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड के साथ विकसित किसी ऐसी ही किसी प्रणाली से कवर किया जाना चाहिए।

एक कार्यान्वयन समिति बनाई गई (अध्यक्ष: श्री वी.रामकृष्ण राव, कार्यपालक निदेशक, नाबार्ड) जिसमें नाबार्ड और रिज़र्व बैंक से सदस्य लिए गए ताकि जहां लागू हो वहां इन सिफारिशों को तेजी से लागू किया जा सके।

ये सिफारिशें लागू होने पर ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की मजबूती बढ़ने की संभावना है।

संदर्भ: नाबार्ड (2013), *3 टियर अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जांच करने संबंधी समिति की रिपोर्ट*, जनवरी।

हानि में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अधिक संकेंद्रण

5.43 हानि में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में अधिक था। पश्चिमी क्षेत्र में, जहां इनकी संख्या काफी है, लाभ में चल रही इन समितियों का प्रतिशत हानि में चल रही ऐसी समितियों से कुछ अधिक था। उत्तरी, दक्षिणी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में लाभ में चल रही इन समितियों का प्रतिशत हानि में चल रही ऐसी समितियों से बहुत अधिक था (चार्ट V.24 और परिशिष्ट सारणी V.6)।

दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तुलनपत्र में 2011-12 में मंद वृद्धि

5.44 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तुलनपत्र की वृद्धि में मुख्य रूप से उधार में कम बढ़ोतरी के कारण 2011-12 में गिरावट हुई जो इन संस्थाओं की कुल देयताओं की लगभग 54 प्रतिशत थी। आस्ति पक्ष में, वृद्धि का प्रमुख प्रेरक ऋण था जो इन संस्थाओं की कुल आस्तियों का लगभग 66 प्रतिशत था (सारणी V.21)। अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं में से शीर्ष स्तरीय संस्थाओं के तुलनपत्रों की तुलना से पता चलता है कि हाल के वर्षों में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पूंजी स्थिति राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में काफी कमजोर रही है। खराब होती आस्ति और ऋण की स्थिति राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की एक विशेषता रही है।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को 2010-11 की तरह 2011-12 में भी हानियां हुईं

5.45 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को 2010-11 की तरह ही 2011-12 में भी हानियां हुईं। इनकी हानि का कारण ब्याज आय में गिरावट और प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय और परिचालन व्यय में तीव्र वृद्धि के कारण उनके कुल व्यय में हुई बढ़ोतरी रही (सारणी V.22)।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की आस्ति गुणवत्ता में और अधिक कमी हुई

5.46 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की आस्ति गुणवत्ता में और अधिक कमी हुई जिसमें अनर्जक आस्ति अनुपात

सारणी V.21: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत मे		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूँजी	19 (6.6)	19 (6.4)	129.2	0.0
2. आरक्षित निधियां	39 (13.8)	45 (15.2)	14.4	15.4
3. जमाराशि	10 (3.4)	11 (3.6)	26.4	10.0
4. उधार	158 (55.6)	160 (54.2)	1.6	1.3
5. अन्य देयताएं	59 (20.6)	61 (20.6)	17.9	3.4
आस्तियाँ				
1. नगदी और बैंक शेष	2 (0.8)	2 (0.6)	13.4	0.0
2. निवेश	27 (9.4)	23 (7.7)	-14.5	-14.8
3. ऋण और अग्रिम	185 (64.9)	194 (65.8)	8.6	4.9
4. अन्य आस्तियाँ	71 (24.9)	76 (25.9)	35.7	7.0
कुल देयताएं/आस्तियां	**285 (100.0)**	**294 (100.0)**	**11.3**	**3.2**

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आस्तियों/देयताओं के प्रतिशत हैं।
2. मणिपुर में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सक्रिय नहीं हैं।
3. कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.22: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि रु. बिलियन में)

मद	के दौरान		प्रतिशत घट-बढ़	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
क आय (i+ii)	**21 (100)**	**22 (100)**	**4.2**	**4.8**
i. ब्याज आय	20 (94.0)	20 (93.7)	13.7	-0.2
ii. अन्य आय	1.3 (6.0)	1.4 (6.3)	-54.6	7.7
ख व्यय (i+ii+iii)	**21 (100)**	**24 (100)**	**1.1**	**14.3**
i. ब्याज पर हुआ खर्च	13 (62.8)	14 (58.3)	1.8	7.7
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	5 (21.7)	6 (24.2)	-4	20.0
iii. परिचालन व्यय	3 (15.5)	4 (17.2)	5.8	33.3
जिसमें से वेतन व्यय	3 (74.6)	3 (71.4)	7.0	16.0
ग लाभ				
i. परिचालन लाभ	5	4	10.9	-20.0
ii. निवल लाभ/हानि	-0.0	-2.0	-	-

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।
2. 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।
3. मणिपुर में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सक्रिय नहीं हैं।
4. कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.23 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियाँ (i+ii+iii)	**60**	**64**	**5.6**	**6.7**
i. अवमानक	29	30	3.1	3.4
	(48.9)	(46.4)		
ii. संदिग्ध	30	34	11.1	13.3
	(50.8)	(53.3)		
iii. हानि	0.2	0.2	-81.6	8.3
	(0.3)	(0.3)		
ख. ऋण-अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**32.3**	**33.1**	-	-
ग. मांग-वसूली अनुपात (%)	**40.2**	**41.3**	-	-

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तिओं के प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड

33 प्रतिशत से अधिक बना रहा (सारणी V.23)। इनका अनर्जक आस्ति अनुपात सहकारी बैंकों और वाणिज्यक बैंकों की तुलना में काफी अधिक बना रहा जो दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्था खंड संबंधी समस्या के विस्तार को दर्शाता है (चार्ट V.25)।

चार्ट V.25 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक आस्ति अनुपात की अन्य सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों से तुलना

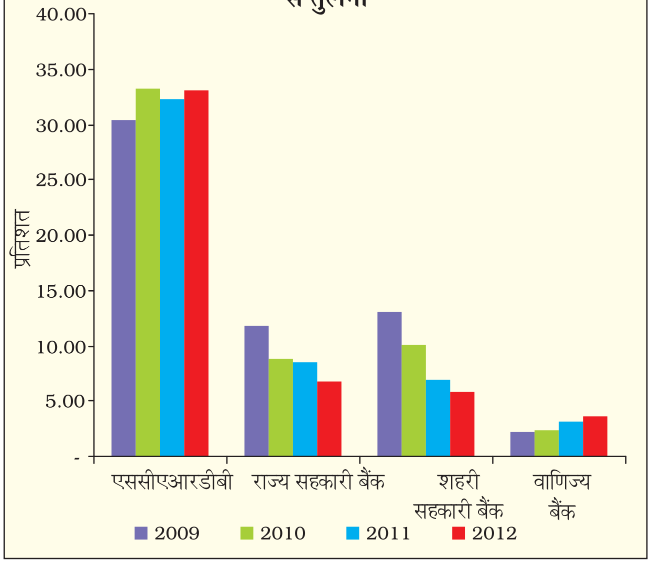

पश्चिमी क्षेत्र के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का एनपीए अनुपात सर्वाधिक था

5.47 राज्य सहकारी बैंकों की तरह पश्चिमी क्षेत्र के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की वित्तीय स्थिति सबसे कमजोर थी जिसमें उनकी आस्तियों का तीन-चौथाई अनर्जक स्वरूप का था। पश्चिमी क्षेत्र के कुछ ही पीछे उत्तर-पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र थे। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अनुपात उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में न्यूनतम था (चार्ट V.26 और परिशिष्ट सारणी V.7)। पहले उल्लेख किए अनुसार, इन दो क्षेत्रों के राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति अन्य क्षेत्रों के राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में बेहतर थी।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के तुलनपत्रों में 2011-12 में मामूली वृद्धि हुई

5.48 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के तुलनपत्रों में 2011-12 में मामूली वृद्धि हुई। आस्तियों की वृद्धि में "अन्य आस्तियां" प्रमुख थीं जबकि देयताओं में "अन्य देयताएं " प्रमुख थीं जिससे इन संस्थाओं की निधियों के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता का पता चलता है (सारणी V.24)।

चार्ट V.26 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की की क्षेत्र-वार वित्तीय स्थिति

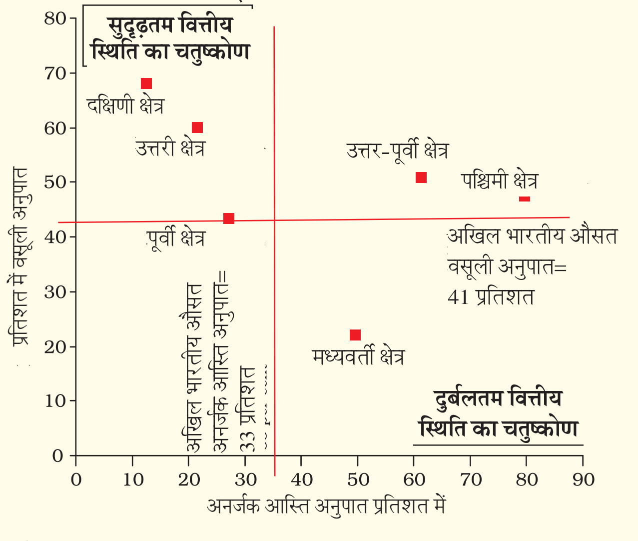

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.24 : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियाँ

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूँजी	14 (5.4)	14 (5.3)	-9.9	0.0
2. आरक्षित निधियां	34 (13.3)	35 (13.2)	-1.9	2.9
3. जमाराशि	5 (1.9)	5 (1.9)	0.05	2.5
4. उधार राशि	134 (52.2)	135 (51.5)	4.1	0.7
5. अन्य देयताएं	69 (27.1)	74 (28.1)	0.02	7.2
आस्तियाँ				
1. नगदी और बैंक शेष	3 (1.2)	3 (1.2)	16.8	-2.0
2. निवेश	14 (5.6)	15 (5.6)	22.4	7.1
3. ऋण और अग्रिम	120 (47.0)	121 (46.2)	4.5	0.8
4. अन्य आस्तियाँ	118 (46.2)	123 (47.0)	-2.5	4.2
कुल देयताएं/आस्तियाँ	**256 (100.0)**	**262 (100.0)**	**2.1**	**2.3**

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आस्तिओं/देयताओं के प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण घट-बढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

अधिकतर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को 2011-12 में हानियां हुईं

5.49 समग्र स्तर पर, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को 2011-12 में हानियां हुई (सारणी V.25)। लगभग 50% बैंकों को वर्ष के दौरान हानियां हुई। इसके अतिरिक्त, परेशान करने वाली एक बात यह है कि इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार का कोई संकेत नहीं दिख रहा है (चार्ट V.27 और परिशिष्ट सारणी V.8)।

वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों के संदर्भ में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की तुलना में प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कमजोर हैं

5.50 दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं, विशेष रूप से प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की स्थिति कमजोर

सारणी V.25: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि रु. बिलियन में)

मद	के दौरान		प्रतिशत घट-बढ़	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
क आय (i+ii)	**21 (100.0)**	**21 (100.0)**	**16.5**	**0.0**
i. ब्याज आय	16 (74.0)	16 (74.0)	22.8	-0.1
ii. अन्य आय	6 (26.1)	6 (26.0)	3.0	-0.5
ख व्यय (i+ii+iii)	**24 (100.0)**	**23 (100.0)**	**4.7**	**-4.2**
i. ब्याज पर हुआ खर्च	13 (56.2)	13 (57.3)	15.6	1.3
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	6 (24.3)	5 (22.4)	-4.5	16.7
iii. परिचालन व्यय और आकस्मिकता	5 (19.5)	5 (20.2)	-9.3	2.8
जिसमें से वेतन व्यय	3 (67.6)	3 (69.2)	8.6	0
ग लाभ				
i. परिचालन लाभ	4	3	-91.1	-9.5
ii. निवल लाभ	-2	-2	-1.9	-6.5

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

है। 2011-12 में इनका अनर्जक आस्ति अनुपात काफी अधिक था और वसूली अनुपात सापेक्षिक रूप से कम (सारणी V.26 और चार्ट V.28, सारणी V.23 के साथ पठित)।

चार्ट V.27 : पीसीएआरडीबी के लाभप्रदता संकेतक

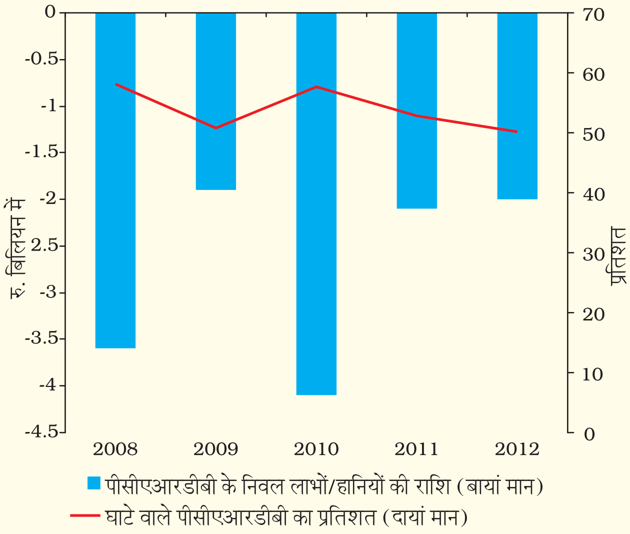

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.26: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि रु. बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियाँ (i+ii+iii)	**49**	**47**	**-0.4**	**-4.1**
i. अवमानक	25	21	-11.6	-16.0
	(50.3)	(45.7)		
ii. संदिग्ध	24	25	16.4	4.2
	(49.2)	(53.6)		
iii. हानि	0.2	0.3	-63.0	50.0
	(0.4)	(0.6)		
ख. ऋण-अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**40.6**	**38.6**	-	-
ग. मांग-वसूली अनुपात (%)	**47.3**	**44.8**	-	-

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण घटबढ़ के प्रतिशत में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

4.ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लाइसेंसीकरण की स्थिति

5.51 रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को विनियमित करता है जबकि नाबार्ड उनका पर्यवेक्षण करता है। वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (अध्यक्ष: डॉ.राकेश मोहन और सह अध्यक्ष: श्री अशोक चावला) ने सिफारिश की थी कि 2012 तक लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहने वाले ग्रामीण सहकारी बैंकों को परिचालन की अनुमति न दी जाए। नाबार्ड के साथ परामर्श करके इस लक्ष्य को निर्बध ढंग से प्राप्त करने की योजना बनाई गई। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने मानदंडों को शिथिल कर दिया जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने में सहायता मिली और मार्च 2012 के अंत में मात्र 43 बैंक (राज्य सहकारी बैंक - 1, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक - 42) बिना लाइसेंस के बचे थे।

5.52 वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने तथा इन बिना लाइसेंस वाले बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और सार्वजनिक हित में भी रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों को निर्देश जारी किए तथा उनके द्वारा नई जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाए। इन बैंकों को सूचित किया गया कि वे 30 सितंबर 2012 तक लाइसेंस के मानदंड पूरे करने के लिए निगरानी योग्य कार्य योजना बनाएं। कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और राज्य सरकारों से प्रतिनिधित्व वाले कार्य दल बनाए गए।

5.53 कुछ राज्य सरकारों द्वारा पूंजी डालने के बाद 17 बैंक (राज्य सहकारी बैंक-1, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक - 16) लाइसेंस पाने के लिए पात्र हो गए। इसके चलते मार्च 2013 के अंत में बिना लाइसेंस वाले बैंकों की संख्या 26 रह गई। इन बैंकों के संबंध में विनियामी कार्रवाई वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के समक्ष रखी गई। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के अनुदेशों के आधार पर सभी 26 बिना लाइसेंस वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस के मानदंडों

चार्ट V.28 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) की तुलना में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) की वित्तीय स्थिति

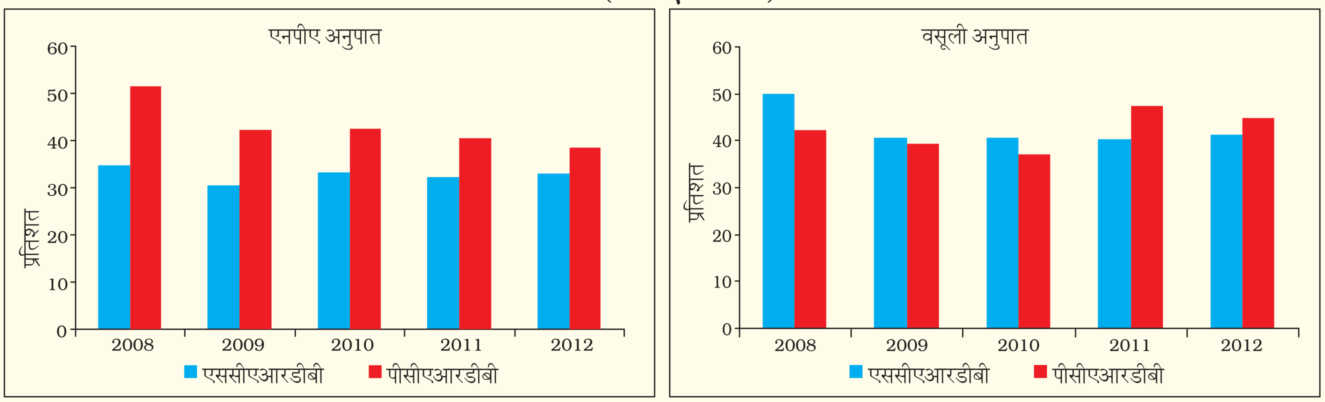

का अनुपालन न करने के कारण मार्च 2013 में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने के कारण दो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने लाइसेंसीकरण के मानदंड पूरे कर लिए, तीसरे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने लाइसेंसीकरण के मानदंड अपने बल पर पूरे कर लिए और इन तीनों जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किए गए। इस प्रकार, 19 जुलाई 2013 को बिना लाइसेंस वाले बैंकों की संख्या चार राज्यों में कम होकर 23 रह गई।

5. समग्र आकलन

शहरी सहकारी बैंकों ने आस्ति गुणवत्ता में सुधार और लाभप्रदता में कमी दर्शाई; किंतु कुछ संस्थाओं में पूंजी पर्याप्तता चिंता का विषय बनी हुई है

5.54 शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ किंतु उनकी लाभप्रदता में कमी आई। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में न्यूनतम सांविधिक पूंजी अनुपात प्राप्त करने वाले शहरी सहकारी बैंकों की संख्या स्थिर बनी रही। किंतु सीआरएआर के कम स्तर वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अपनी पूंजी स्थिति में सुधार लाना जरूरी है। समेकन की निरंतर जारी प्रक्रिया से आस्ति संकेंद्रण में वृद्धि हुई। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लघु उद्यमियों, आवास, शिक्षा और छोटे कस्बों में व्यष्टि ऋण दिए जाने को देखते हुए, इन संस्थाओं को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जहाँ तक शहरी सहकारी बैंकों की बात है, संविधान (97 वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के विधायन से राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के कुछ प्रावधानों में एकरूपता आने और इन संस्थाओं के प्रबंधन में व्यावसायिकता को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। इन परिवर्तनों का शहरी सहकारी बैंकों के समग्र परिचालन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा है।

अल्पकालिक सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ किंतु प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कार्य-निष्पादन वित्तीय दुर्बलताओं से निरंतर प्रभावित हो रहा है

5.55 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन बेहतर था वहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को समग्र आधार पर निरंतर हानियां हो रही हैं। राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों में 2011-12 में देश के सभी क्षेत्रों में सामान्य सुधार हुआ। प्राथमिक सहकारी समितियों की हानियां अभिशासन और परिचालनात्मक मुद्दों के कारण हुईं। इसके अलावा, ऋण माफी योजना, जिसका उद्देश्य मुसीबत के समय कृषि क्षेत्र की सहायता करना था, से इस खंड के अंतर्गत अच्छे समय में ऋण की चुकौती हतोत्साहित हुई है। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की वर्तमान स्थिति में यह आवश्यक है कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को बिना नुकसान पहुंचाए उनकी वित्तीय सुदृढ़ता को सुधारने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

दीर्घकालिक सहकारी संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता निरंतर नाजुक बनी रही

5.56 दीर्घकालिक सहकारी संस्थाओं ने हानियां दर्ज कीं; उनका अनर्जक आस्ति अनुपात भी अन्य ग्रामीण संस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक था जो संभवत: इन संस्थाओं के वसूली तंत्र की आंतरिक कमी को दर्शाता है। 2011-12 में राज्य और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के आस्ति आकार में वृद्धि, उनके अल्पकालिक प्रतिपक्षियों की तुलना में पिछले कुछ समय की तरह ही काफी कम बनी रही। इससे ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की कुल आस्तियों में दीर्घकालिक सहकारी संस्थाओं के हिस्से में क्रमिक गिरावट आई।

5.57 सारांश के रूप में, अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं पर विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए संस्थागत उपायों, अर्थात जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की टियर -I पूंजी के सुदृढ़ीकरण और राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए कोर बैंकिंग समाधान के परिचालन; रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशाओं और दिशानिर्देशों के अंतर्गत कारोबारी निर्णय लेने में राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के प्राधिकरण को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को मजबूत किया जा सके। शहरी सहकारी संस्थाओं के लिए एक अन्य अनिवार्य बात यह है कि ऐसे बैंकों की पूंजी स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है जो सांविधिक न्यूनतम जमा के मामले में पीछे रह गए हैं।